संघर्ष संवाद

दिसंबर 2010 नई दिल्ली

सम्पादकीय

भारत में पहला निजी बंदरगाह बनाने के लिए जिस प्रकार पोस्को कम्पनी को पारादीप में इजाजत दी गयी है उसी तरह से भारत में पहला विदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुबंध फ्रांस की ओरवा कम्पनी के साथ उस वक्त किया गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी परमाणु संयन्त्रों के व्यापार के संदर्भ में अभी हाल में भारत आये थे। जैतपुर (कोंकण–महाराष्ट्र) में प्रस्तावित यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में विदेशी निवेश की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी। इस परियोजना पर एक लाख करोड़ रूपये निवेश होगा तथा दावा किया जा रहा है कि 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा जो कि विश्व रिकार्ड होगा।

जिस दिन राष्ट्रपति सरकोजी भारत आये उसी दिन जैतपुर के मछुआरों, किसानों तथा पर्यावरणविदों के विरोध जुलूस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। कलिंगनगर में टाटा कम्पनी की कारिडोर रोड के निर्माण का विरोध करते समय दो स्थानीय आदिवासियों की हत्या कर दी गयी। पोस्को एवं वेदांता कम्पनियों के ऊपर पर्यावरण सवालों, कानूनों की अवहेलना की शिकायतों को सही पाते हुए जहां एक तरफ उनके ऊपर कुछ नकेल लगायी वहीं इन कम्पनियों की ज्यादतियों के खिलाफ संघर्षरत जनसंघर्षों तथा उनके अगुआकारों पर राज्य एवं कारपोट की दमनात्मक कार्यवाही जारी है। कलिंगनगर में टाटा कम्पनी के जर खरीद गुलामों की लम्पट गैंगों तथा पुलिस की तरफ से, संघर्षरत लोगों को यहां तक उत्पीड़ित किया जा रहा है कि अस्पताल जाते समय भी उन्हे गिरफ्तार किया जाता रहा है। सोमपेटा (आंध्र प्रदेश), जिकरपुर (उत्तर प्रदेश), घोड़ी बछेड़ा (उत्तर प्रदेश), काठीकुण्ड (झारखंड) तथा कलिंगनगर (उड़ीसा) की निर्मम गोलीबारी से जूझते जनसंघर्ष अपनी जीविका, जीवन तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं।

राष्ट्रराज्य आंतकवाद (हिन्दु और मुस्लिम साम्प्रदायिकता) तथा उग्रवाद (माओवाद) को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हुए जनतांत्रिक जनसंघर्षों को, वैश्विक पूंजी के हित में निर्ममता से कुचलने पर आमादा है। राष्ट्र–राज्य का 'मन' भूमण्डलीकरण के 'माया मंत्र' से इतना 'मोहित' हो गया है कि भारतीय–समाज और भारतीय–लोकतंत्र के अनुभवों पर अपनी 'मन मोहनी' दृष्टि भी नहीं डालना चाहता।

हमारा इतिहास यह बताता है कि 1947 से पहले हम वैश्विक प्रणाली का एक हिस्सा रह चुके हैं। भूमण्डलीकरण हमारे लिए कोई नया अनुभव या अवधारणा नहीं है। आजादी की प्राप्ति से पहले हम विश्व बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में पूर्णतया एकीकृत थे, भूमण्डलीकृत थे। परंतु यह भी पूर्णतया सच है कि हमने इस व्यवस्था को कभी पसंद नहीं किया था। फलतः भारत में किसानों, मजदूरों के संघर्ष और आदिवासियों के विद्रोह तथा अन्ततः स्वाधीनता संघर्ष का अभ्युदय हुआ था। उस दौर का भूमण्डलीकरण साम्राज्यवाद के द्वारा संचालित, नियंत्रित तथा उसके अपने हित में था जिसका व्यावहारिक रूप था भारत में दरिद्रता की वृद्वि और इंग्लैड में धन का संचय। ऐसी परिस्थिति में स्वाधीनता संघर्ष अनिवार्य हो गया था, केवल भारत में ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों में जो इस शोषणकारी प्रक्रिया–व्यवस्था के शिकार थे।

आजादी के बाद गांधी एवं नेहरू के उत्तराधिकारियों ने धीरे–धीरे इस पर बात करना भी बंद कर दिया कि आजादी की जंग किस लिए थी ? और आज वे यह भी चाहते हैं कि हम भी इसे भुला दें।

विकास, समता और अनुपाती न्याय की मूल अवधारणा पर नेहरू की राष्ट्रीय परियोजना ने कालांतर में यह भ्रम पैदा किया कि राज्यवादी–पूँजीवाद ही समाजवाद है। नेहरू कालीन युग में शुरू की गयी राष्ट्रीय–परियोजना राज्यवादी–पूंजीवाद पर टिकी रही और 1990 आते आते धराशायी हो गयी तथा विकास और समता तथा अनुपाती न्याय की पोल खुल गयी। इसके विकल्प के रूप में निजीकरण, उदारीकरण के भूमण्डलीकरण को पेश किया जा रहा है। आज भूमण्डलीकरण को एक नये, नायाब तथा अनिवार्य नुस्खे के रूप में पेश किया जा रहा है, मानो यह हमारे लिए कोई नयी परिघटना हो। साथ ही साथ सर्व सामान्य की प्रगति कर पाने की पूंजीवादी व्यवस्था की असफलता को समाजवाद की विफलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

आज भारतीय समाज और भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे दौर में है जहां उसे अपनी नयी कार्यनीति की जरूरत है। हमारे अनुभव यह बताते हैं कि नव उदारवाद (मौजूदा पूंजीवाद) और लोकतंत्र दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते।

यही वजह है कि आज ऐसी ताकतों–प्रक्रियाओं–ढांचों तथा कानूनों के खिलाफ तमाम जनसंघर्ष जारी हैं, जो खेत, खनिज, पानी, वन को मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैश्विक पूंजी द्वारा संचालित तथा राष्ट्र–राज्यों द्वारा फेसिलिटेट की जा रही यह प्रक्रियायें नव उदारवाद की बानगी हैं तो इनका विरोध–प्रतिरोध लोकतंत्र की रक्षा की अनिवार्य परिणति। अतएव यह एकदम सुनिश्चित है कि मुट्ठीभर लोगों की ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की ख्वाहिश तथा व्यापक आबादी की अपने अस्तित्व की रक्षा की जद्दोजहद के बीच खुलेआम द्वंद्वात्मक संघर्ष है। इसी कारण वैश्विक पूंजी के हित साधक के रूप में कार्यरत राष्ट्र–राज्य किसी भी हद तक जाकर जनसंघर्षों के दमन पर आमादा है।

आज जनसंघर्षों की बढ़ती एकता से बौखलायी सत्ता अपने ही देश वासियों के विरूद्व जंग छेड़ने में भी नहीं हिचक रही है।

कार्यवाहियाँ पूर्व निर्धारित फिर भी जारी है जन सुनवाइयों की नौटंकी

पर्यावरण विभाग की जांच संदेह के घेरे में। कोल वाशरी की बोलती तस्वीरें।

मामला ''जिंदल कोल वाशरी'' जन सुनवाई का

छत्तीसगढ़ प्रदेश के भ्रष्टतम पर्यावरण विभाग द्वारा फरवरी 2007 में जिंदल को रायगढ़ में कोल वाशरी निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी थी कि 30 जून 2007 के पूर्व केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से विधिवत अनुमति लेनी होगी अन्यथा यह स्वीकृति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी। इस निर्धारित अवधि में न तो जन सुनवाई हुई और न ही पर्यावरण मंत्रालय ने जिंदल को स्वीकृति दी। लिहाजा पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य ने 25 अगस्त 2007 को जिंदल को नोटिस जारी कर कोल वाशरी का निर्माण तत्काल रोकने के निर्देश दिये। साथ ही पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ को स्थल निरीक्षण कर सात दिनों में रिपोर्ट देने और काम न रोके जाने की दशा में जिंदल के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

नोटिस के जवाब में जिंदल द्वारा 11 सितंबर 2007 को पर्यावरण विभाग को पत्र लिखा गया कि कोल वाशरी का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और इस स्थिति में काम रोके जाने से उनके 1000 मे. गावाट के पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में देरी होगी। जिंदल के जवाब के पहले ही संघर्ष मोर्चा के जुझारू नेता जयंत बहिदार कलेक्टर और पर्यावरण विभाग को जिंदल द्वारा कोल वाशरी का निर्माण जारी रखने की शिकायत कर चुके थे। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी द्वारा न तो अपने उच्च अधिकारी के निर्देश का पालन कर कोल वाशरी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही श्री बहिदार की शिकायत पर कोई कार्यवाही की गयी। कायदे कानून को तोड़ने में माहिर जिंदल ने न केवल कोल वाशरी का निर्माण पूरा कर लिया बल्कि कोयले की धुलाई कर पावर प्लांट में भेजना भी जारी रखा। विगत तीन वर्षों में विभाग के अफसरों के दौरे जिंदल की कोल माइंस के निरीक्षण के बहाने लगते रहे। लेकिन खदान के मुंहाने पर अवैध रूप से कार्यरत कोल वाशरी का जिक्र तक नहीं किया गया। मामला अभी भी फाइलों में दबा रहता यदि कोयला खदान का उत्पादन बढ़ाने और कोल वाशरी की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन सुनवाई निर्धारित नहीं की गई होती।

चूंकि 23 अक्टूबर 2010 को आयोजित जन सुनवाई के बहुत पहले से ही कोल वाशरी अवैध रूप से संच. ालित थी इसलिये 5 अक्टूबर 2010 को जयंत बहिदार और 9 अक्टूबर को जन चेतना द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश से लेकर जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग तक जन सुनवाई निरस्त कर जिंदल के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई। सदैव किसी भी कीमत पर जन सुनवाई करवाने पर आमादा जिला प्रशासन ने जन सुनवाई निरस्त करने से साफ

मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण

संघर्ष मोर्चा ने घेरा कलेक्टोरेट

मुख्य बातें

उद्योग प्रबंधन के मनमानीपूर्ण रवैए का विरोध

रायगढ़। संघर्ष मोर्चा ने उद्योग प्रबंधन के मनमानीपूर्ण रवैए को रोकने, बिना पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण कार्य शुरु करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने सहित मुआवजा आदि की मांग को लेकर ने बुधवार को घंटों कलेक्ट्रोरेट का घेराव किया।

शाम एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर अशोक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। देर शाम मोर्चा कार्यकताओं ने उद्योग मालिक का पुतला फूंका। इस दौरान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रोकने कलेक्टोरेट परिसर छावनी में तब्दील रहा।

बुधवार को दोपहर लगभग 12.30 बजे संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के द्वारा जयंत ठेठवार व राधेश्याम के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय गांधी पुतला से रैली निकाली। रैली मंदिर चौक, शहीद चौक से चक्रधरनगर चौक होते हुए कलेक्टोरेट पहुची। कलेक्टोरेट के सामने मोर्चा सदस्यों ने उद्योग प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के विरूद्ध जमकर नारेबाजी। यहां आयोजित सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए जगह- जगह भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। संघर्ष मोर्चा के अनुसार एक निजी उद्योग प्रबंधन के द्वारा कोलवासरी का निर्माण कुछ वर्षों पूर्व बिना पर्यावरण स्वीकृति के ही शुरू कर दिया गया था। वह उद्योगों द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के कारण भी लोगों में आक्रोश है। इनसे निकलने वाले धुंए व अधिग्रहित भूमि के मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इससे स्थानीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार बीमारियों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मना करते हुए शिकायतकर्ताओं को अदालत जाकर स्टे आर्डर ले आने की सलाह दे डाली। मतलब कि चोर की शिकायत करने जाओ तो पुलिस कहे कि चोरी तो होकर रहेगी, चोरी रुकवाना है तो अदालत का आदेश ले आओ। जैसे जैसे जन सुनवाई की तारीख नजदीक आती गई और तमनार में विरोध के स्वर उभरने लगे प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने लोगों का आक्रोश शांत करने के लिये जन सुनवाई के मात्र पांच दिनों पहले कोल वाशरी का निरीक्षण करने का दिखावा किया।

जनसुनवाई निरस्त कराने विरोध प्रदर्शन

इम्पात टाइम्स/रायगढ़। सारसमाल में कोयला खादान के क्षमता विस्तार को लेकर आयोजित जन सुनवाई गलत ठहराते हुए उसे निरस्त करने की

मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टोरट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि तमनार क्षेत्र के सारसमाल में जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा कोयला खादान का संचालन किया जा रहा है और इस खदान को 5.50 से 6.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा 0.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष भूमिगत कोयला खादान का विस्तार किया जा रहा है जिसके लिए 23 अक्टूबर को जनसुनवाई आहूत किया गया है ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान में चल रहे कोयला खादान से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण से क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और खादान के क्षमता विस्तार करने से क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा इसको देखते हुए क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण आज 12 बजे कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टोरेट के सामने जिला प्रशासन और उद्योग प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किए । घंटो भर तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि 23 अक्टूबर को होने वाले जनसुनवाई को निरस्त किया जाए।

तीन वर्षों से धूल खा रही फाइल को खोज कर, चोरी की जांच चोरों से करवाने की तर्ज पर पर्यावरण विभाग के तीन अधिकारियों ने 18 अक्टूबर को जिंदल की कोल वाशरी की तथाकथित जांच कर बताया कि कोल वाशरी बंद पाई गई। गौरतलब है कि निरीक्षण की जानकारी गारे व लिबरा इत्यादि गांवों के ग्रामीणों को हो गई थी और वे वाशरी के दरवाजे पर अधिकारियों के आने की राह देख रहे थे। फोन के द्वारा अधिकारियों को सूचित भी किया गया कि ग्रामीण उनसे मिलना चाहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दोपहर से वे इंतजार करते रहे लेकिन शाम 6 बजे तक भी अधिकारियों को न आते देख वे अपने घर चले गये।

जन सुनवाई से 3 दिन पहले 20 अक्टूबर 2010 को प्रभावित होने जा रहे गांव के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जुलूस की शक्ल में पूरे रायगढ़ शहर का चक्कर लगाते हुए रायगढ़ के कलेक्टर के सामने प्रदर्शन करके जन सुनवाई रद्द करने एवं जिंदल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की तथा कलेक्टरेट के गेट पर नवीन जिंदल का पुतला फूंका। एक बार फिर से कलेक्टर ने जन सुनवाई रद्द करने से मना कर दिया और सहायक कलेक्टर को भेजकर प्रदर्शनकारियों का मांग पत्र मँगवाया।

जन चेतना के रमेश अग्रवाल ने बताया कि स्वीकृति के पूर्व निर्माण किये जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19 अगस्त 2010 को सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अनुसार ऐसे मामलों में मंत्रालय द्वारा टी.ओ.आर. निरस्त अथवा लंबित किये जा सकते हैं। जाहिर है यदि टी.ओ.आर. ही निरस्त किये जाने का प्रावधान है तो जन सुनवाई स्वयमेव निरस्त हो जाती है और जन सुनवाई करवाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। लेकिन प्रशासन है कि जिंदल जैसे प्रभावशाली उद्योग के सामने सारे नियम कायदों को ताक पर रख कर जन सुनवाई करवाने पर आमादा है। जिंदल एवं अन्य उद्योगों के खिलाफ आदिवासी अंचल में किस कदर आक्रोश है इसका अंदाज प्रशासन को बखूबी हो चुका है। फिर भी यदि जन सुनवाई करवायी जाती है तो खम्हरिया जैसी किसी अप्रिय स्थिति की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि गारे एवं खम्हरिया गांवों की जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों पर पुलिस तथा कंपनी के

गुण्डों ने कातिलाने हमले किये थे और उल्टे ग्रामीणों के ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमें भी दर्ज कर लिये गये थे।

अन्ततः 23 अक्टूबर 2010 को धौराभाँटा में जन सुनवाई का नाटक किया गया। कम्पनी की तरफ से सैकड़ों लोगों को अपने वाहनों में लादकर लाया गया, यह सब बेकार गया; क्योंकि कम्पनी की तरफ से लाये गये यह सारे लोग इतना नशे में थे कि वे बोलना तो दूर खड़े नहीं हो पा रहे थे। आन्दोलनकारी किसान 3–4 सौ की संख्या में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आपत्तियाँ दर्ज करायीं तथा अपनी बातें जोरदार ढंग से रखीं। जैसा कि हर जन सुनवाई के साथ होता है जिला प्रशासन ने इस जन सुनवाई की भी रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को अग्रसारित कर दी होगी और अंतिम फैसला मंत्रालय लेगा। जिला प्रशासन एवं मंत्रालय के हित इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। लोगों के अनुभव बताते हैं कि इन दोनों स्तरों पर लोगों का हित हाशिये पर ही ढकेल दिया जाता है।

गौरतलब है कि जन चेतना द्वारा नियम विरूद्ध जन सुनवाई को चुनौती देते हुए याचिका अपीलेट अथारिटी दिल्ली के समक्ष दायर की गई थी जिसमें एक साल बाद अथेना पावर की जन सुनवाई असंवैधानिक पाते हुए निरस्त कर दी गई थी। रमेश अग्रवाल, मोर्चा नेता जयंत बहिदार और आदिवासी मजदूर किसान एकता संगठन के संयोजक डा. हरिहर पटेल का साफ कहना है कि भले ही प्रशासन डंडे के जोर पर जन सुनवाई करने में सफल हो गया है लेकिन वे इस सरासर असंवैधानिक जन सुनवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लडेंगे और अंततः तमनार के आदिवासी ग्रामीणों को न्याय मिलेगा।

– राजेश त्रिपाठी, रायगढ़

बलात कब्जायी जमीनें, अपनाया साम–दाम–दण्ड–भेद का आजमाया तरीका! सरकार एवं कम्पनियों का विकास को तेज करने का नया अंदाज़ !!

छत्तीसगढ़ राज्य में 69000 एकड़ जमीन (जो कृषि भूमि है) को गैर कृषि कार्यों हेतु स्थानांतरित कर दिया गया। सड़क के किनारे की लगभग सारी की सारी जमीनों का मालिकाना अब किसानों का नहीं रह गया है। आज किसानों की भूमि हड़पने की तिकड़म अपने शबाब पर है। आज छत्तीसगढ़ में भूमि हड़पने की साजिशें सबसे बड़ी चुनौती है।

रायगढ़ जनपद की रायगढ़, तमनार एवं घरघोड़ा तहसील में किसी भी तरीके से तथाकथित विकास पर आमादा कम्पनियां अपने मकसद को अंजाम देने के लिए धन बल, बाहुबल, घिनौनी करतूतों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह धड़ल्ले से मनमानी कर रही हैं मानो शासन–प्रशासन–सरकार उनकी चेरी हों और सरकारी आदेश, न्यायालय के निर्देश, नियम–कायदे–कानून उनके ऊपर लागू नहीं होते।

ऐसी कुछ घटनायें आगे दी जा रही हैं जिनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड कम्पनी और इसकी अगुआई में अन्य कम्पनियां किस तरह किसानों की जमीनें बलात कब्जा कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ की ''आदिवासी केन्द्रित अर्थव्यवस्था'' मुनाफाखोरों के निशाने पर

नदी घाटी मोर्चा – छत्तीसगढ़ के संघर्षशील साथी गौतम बन्दोपाध्याय का मानना है कि आज के इस अंधकार के दौर में गांधी , बिनोवा और जय प्रकाश के विचार ही एकमात्र प्रकाश है। उनका मत है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद प्रचुर पानी, खनिज और वन को देशी–विदेशी पूँजीपति ललचायी निगाह से देख रहे हैं। वे इस बात को जानते हैं कि उन्हें कामयाबी तभी मिलेगी जब वे इस क्षेत्र में एक लम्बे दौर से कायम 'आदिवासी केन्द्रित स्थानीय अर्थव्यवस्था' को नष्ट कर डालें। आज जमीनों, नदियों, खनिज पदार्थों तथा वनों पर कब्जा तेज कर दिया गया है। पहले छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और उत्तरी भाग को निशाने पर लिया गया और अब छत्तीसगढ़ का केन्द्रीय भू–भाग निशाने पर आ चुका है। अपने वनों, नदियों, वृक्षों और कृषि की तबाही तथा पर्यावरण विनाश के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। अफसोस यह है कि संघर्षशील लोगों की जायज बातों को स्वीकार करने के बजाय सरकार छत्तीसगढ़ स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके उनके दमन पर आमादा है। कानूनों में फेरबदल करके कम्पनियों, कारपोरेट के हित की जुगाड़ में सरकार तत्पर है। जनसुनवाइयां इसी का हिस्सा हैं, जब कार्यवाहियां पहले से तय हैं तो इस नाटक की जरूरत क्या है?

दृष्टांत–1

एक आदिवासी महिला के नाम पर फर्जीवाड़ा करके उसकी चचेरी बहन को खड़ा करके, एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति के नाम से साढ़े चार एकड़ जमीन बेच दी जाती है जिस व्यक्ति का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है और यह बगैर अस्तित्व वाला व्यक्ति भुक्तभोगी आदिवासी महिला के खिलाफ 8–9 साल से मुकदमा भी लड़ रहा है। इस आदिवासी महिला की जमीन पर कम्पनी ने जबरन रोड भी बना ली है।

एक आदिवासी महिला श्रीमती जानकी सिदार पत्नी श्री भरत लाल, निवासी ग्राम नागरामुड़ा, ग्राम पंचायत– जाँजगीर, पो0– धौराभाँटा, थाना एवं तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) अपने माँ–बाप की इकलौती औलाद है। उनके पिता पूरन सिंह, ग्राम– मिलुपारा, ग्राम पंचायत– मिलुपारा, थाना–तहसील– तमनार, जिला– रायगढ़ के निवासी थे। उनके पास 22 एकड़ जमीन थी। पिता की मौत के बाद उन जमीनों की वारिस जानकी सिदार हैं।

जानकी सिदार की जमीन का न तो भूमि–अधिग्रहण किया गया और न ही उन्हें कोई नोटिस दी गयी। न हि किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। जानकी बताती हैं कि उनकी जमीन पर मोनेट कम्पनी ने रोड बना लिया है। इस रोड का निर्माण कम्पनी ने 8–9 साल पहले किया। मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, ग्राम– नहरपाली, तहसील खरसिया, रायगढ़ में है। इसी कम्पनी की शाखा मोनेट कोल माइन्स मिलुपारा गांव में है, इसी गांव में जानकी की जमीन पर मोनेट कोल माइन्स ने जबरियन रोड बना लिया है। मोनेट कोल माइन्स के मालिक संदीप जिजोदिया पुत्र महेन्द्र सिंह जिजोदिया हैं। कम्पनी मालिक संदीप जिजोदिया जिंदल कम्पनी के मालिक नवीन जिंदल, जो कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं– के बहनोई हैं। जानकी बताती हैं कि मिलुपारा गांव के अन्य आदिवासियों जैसे सादराम सिदार आदि की जमीनें भी कम्पनी ने जबरन कब्जा कर रखी हैं।

जानकी सिदार की जमीनें कब्जाने का मोनेट कम्पनी ने नायाब तरीका अपनाया। जानकी बताती हैं कि उसके बड़े पिता के बेटे दुबराज को पटा करके मेरी चचेरी बहन धनमती को मेरे नाम से खड़ा कराके मेरी साढ़े चार एकड़ जमीन फर्जी तौर पर बेच दी गयी। इसकी जानकारी जब मुझे गांव वालों से मिली तो मैंने इस मामले का विरोध करना शुरू किया। यह मामला वर्ष 2001 का है। जब मैंने इस अन्याय तथा चार सौ बीसी के खिलाफ आवाज उठायी तो मुझे जान से मारने की कोशिश की गयी। मेरे चचेरे भाई दुबराज ने 30–40 अन्य लोगों के साथ मुझे मार डालने के लिए मेरी घेरेबन्दी की। मैं जंगल में भागकर झाड़ियों में छिप–छिपाकर किसी तरह अपनी जान बचा पायी। इसके बाद मैंने कलक्टर के यहां केस किया। 8–9 साल से केस चल रहा है। तहसील स्तर पर तथा एस.डी.एम. स्तर पर मेरे साथ बेइंसाफी की गयी। अभी रायगढ़ के कलेक्टर तथा सिविल जज रायगढ़ के समक्ष मुकदमा चल रहा है।

जानकी ने बताया कि चूंकि हमारे इलाके में आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है। अतएव मेरी जिस जमीन को फर्जी तरीके से मेरी चचेरी बहन को मेरे नाम पर खड़ा कराके बिकवाया गया उसको खरीदने वाला एक अम. रसिंह नामक आदिवासी बताया गया। जबकि अमरसिंह नामक वह व्यक्ति है ही नहीं। हमारे निवेदन पर पुलिस ने यह लिखकर भी दिया है कि अमर सिंह नामक उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जानकी कहती हैं कि वास्तव में अमर सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर मोनेट कम्पनी के एक मैनेजर सुरेन्दर दुबे दस्तखत करते हैं। और मेरे खिलाफ एक ऐसी पार्टी 8–9 साल से मुकदमा लड़ रही है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। जानकी बड़े दुःख के साथ कहती हैं कि यह कैसा न्याय तथा कोर्ट–कचहरी है जहां पर एक ऐसा आदमी मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। वे कहती हैं कि वास्तव में यह जमीन कम्पनी ने ही अमर सिंह नामक फर्जी आदिवासी के नाम फर्जी तौर पर खरीदी है। इस पूरी साजिश में मोनेट कम्पनी के मैनेजर सुरेन्दर दुबे शामिल हैं जिन्होंने लालच देकर इस कारनामे में मेरे चचेरे भाई दुबराज तथा चचेरी बहन धनमती को भी शामिल कर लिया है। जानकी बताती हैं कि जब मैं तारीख पर कचहरी जाती हूं तो कम्पनी के मैनेजर सुरेन्दर दुबे तथा मेरा चचेरा भाई दुबराज गुण्डों के साथ 30–40 की संख्या में आते हैं

तथा गुण्डों के द्वारा धमकी दी जाती है कि मेरे पति, ससुर, बच्चों समेत मेरा कतल करवा दिया जायेगा।

जानकी का कहना है कि इन सब परेशानियों की वजह से मेरे पति जो एक स्कूल में टीचर थे, को अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अब मेरे सामने अपनी, अपने पति, अपने बच्चों तथा अपने ससुर की जान का खतरा नजर आ रहा है। मैं अपने ससुराल के गांव वासियों की मदद से किसी प्रकार अभी तक जीवित बची हूं तथा कम्पनी की जोर–जब. र्दस्ती के खिलाफ लड़ रही हूँ।

बेनामी खरीद–फरोख्त कम्पनियों के लिए की जा रही है

आदिवासी मजदूर किसान एकता संगठन के जुझारू नेता हरिहर पटेल जो इलाके में डाक्टर के नाम से जाने जाते हैं का स्पष्ट कहना है कि किसानों की जमीनों पर न केवल जबरन कब्जा किया गया है बल्कि जिंदल कम्पनी एवं मोनेट कम्पनी बेनामी लोगों के नाम से जमीनें खरीद रही है। राज्य तथा कम्पनी दोनों की हिंसा का हम सामना कर रहे हैं। यहां पर कम्पनियों ने एलान कर रखा है विरोधियों को पहले 'खरीदो' अगर वे नहीं बिकते हैं तो उन्हें 'फँसाओ' और इसके बाद भी न माने तो रास्ते से 'हटाओ'। हमारी प्राणदायिनी नदी केलो पूर्णतया प्रदूषित कर दी गयी है। भू–जल बहुत नीचे गिर गया है, नयी–नयी बीमारियां फैल रही हैं, पशुओं का बांझपन तथा महिलाओं का अकस्मात गर्भपात, वृक्षों में फल न लगना, फसल का उत्पादन घटना, शराब की बेइंतहा बिक्री तथा वायु–प्रदूषण के कारण श्वाँस रोग – जैसी तमाम समस्याओं से हम घिरे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अपनी जमीन, नदी तथा वन हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।

दृष्टांत–2

श्रीमती हरि प्रिया पटेल की कुल 50 एकड़ जमीन में से 45 एकड़ जमीन का भू–अधिग्रहण कर लिया जाता है। वे अधिग्रहण के विरोध में मुआवजा लेने से इंकार कर देती हैं। उनकी शेष बची जमीन पर (लगभग 5 एकड़) जिंदल कम्पनी बलात कब्जा करके अपनी टाउनशिप–कालोनी आदि बना लेती है। प्रतिरोध करने पर उनकी तथा उनके पूरे परिवार की कम्पनी के लोगों द्वारा पिटाई की जाती है और उलटे उन पर पुलिस केस भी दर्ज करा दिया जाता है।

ग्राम टपरंगा, ग्राम पंचायत धौराभाटा, तहसील– तमनार, जिला रायगढ़ की निवासिनी श्रीमती हरि प्रिया पटेल की उपजाऊ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण तमाम विरोध के बावजूद भी भूमि–अधिग्रहण अधिनियम के तहत कर लिया गया। अधिग्रहीत की गयी भूमि लगभग 45 एकड़ है। इस भूमि का मुआवजा अत्यधिक कम होने के नाते इन्होंने विरोध स्वरूप मुआवजा लेने से इंकार कर दिया। इस बीच इनकी शेष बची कृषि भूमि लगभग 5 एकड़ पर जिंदल कम्पनी ने जबरन कब्जा कर लिया तथा उस पर अपनी कम्पनी की टाउनशिप, कालोनी आदि बना ली। इसका विरोध करने के लिए श्रीमती हरि प्रिया पटेल के बेटे योगेन्द्र पटेल तथा अन्य परिवार के लोग जब गये तो कम्पनी के लोगों ने उन पर हमला किया, परिवार के लोगों को मारापीटा तथा उल्टे योगेन्द्र पटेल एवं परिवार के अन्य लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया।

यह विवरण देते हुए योगेन्द्र पटेल ने बताया कि इसके अलावा मेरे गांव के नारायन पटेल तथा जीवन पटेल की भी जमीनों पर जिंदल कम्पनी ने जबरियन कब्जा कर रखा है। हमारी कहीं पर भी नहीं सुनी जा रही है। कम्पनी के मालिक नवीन जिंदल अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारे साथ न्याय नहीं होने दे रहे हैं। श्री योगेन्द्र दुःखी होकर कहते हैं कि न तो हमारी इस जमीन का अधिग्रहण किया गया और न हमने यह जमीन कम्पनी को बेची, हम यह किससे पूछें कि हमारी जमीन किस हैसियत से जिंदल कम्पनी ने कब्जा रखी है?

छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ही मध्य प्रदेश राज्य ने शिवनाथ नदी का 23.5 किमी. हिस्सा रेडियस वाटर कम्पनी लिमि. को लीज पर दे दिया था और अब केलो, खरून, हसदेव तथा सबरी नदियां भी कम्पनियों के नियंत्रण में हैं– पानी लेने तथा कचड़ा डालने के लिए। (रमेश अग्रवाल, जन चेतना मंच, रायगढ़)।

दृष्टांत–3

जिंदल पावर लिमिटेड कम्पनी ने किया जमीन पर कब्जा जबकि न तो हुआ भूमि का अधिग्रहण, न भूमि की बिक्री, न मिला मुआवजा, न गुजाराभत्ता। तहसीलदार के आदेश के बावजूद भी जमीन से कम्पनी को बेदखल करके किसान को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं। सदमे से किसान की पत्नी की हृदयाघात से मौत।

ग्राम सलिहाभॉटा, ग्राम पंचायत सलिहाभाटा, तहसील–तमनार, जिला रायगढ़ के 60 वर्षीय किसान रघुनाथ चौधरी जो एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजर–बशर कर रहे हैं बताते हैं कि उनके पास 11 एकड़ जमीन थी। उसमें से 9 एकड़ जमीन पर जिंदल पावर लिमिटेड कम्पनी ने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है।

श्री चौधरी कहते हैं कि न तो मैंने अपनी जमीन जिंदल कम्पनी को बेची, न मुझे कभी भी लिखित या मौखिक रूप से भूमि–अधिग्रहण आदि के बारे में कोई जानकारी दी गयी, न तो मुझे कोई मुआवजा दिया गया और न मैंने मुआवजा आदि लिया है। मैं जब अपनी भूमि के बारे में कोई जानकारी मांगता हूं तो मुझे कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है। फसल की क्षतिपूर्ति के लिए जब मैं अधिक. ारियों या कम्पनी के प्रबंधकों से सम्पर्क करता हूं तो मुझे भगा दिया जाता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता।

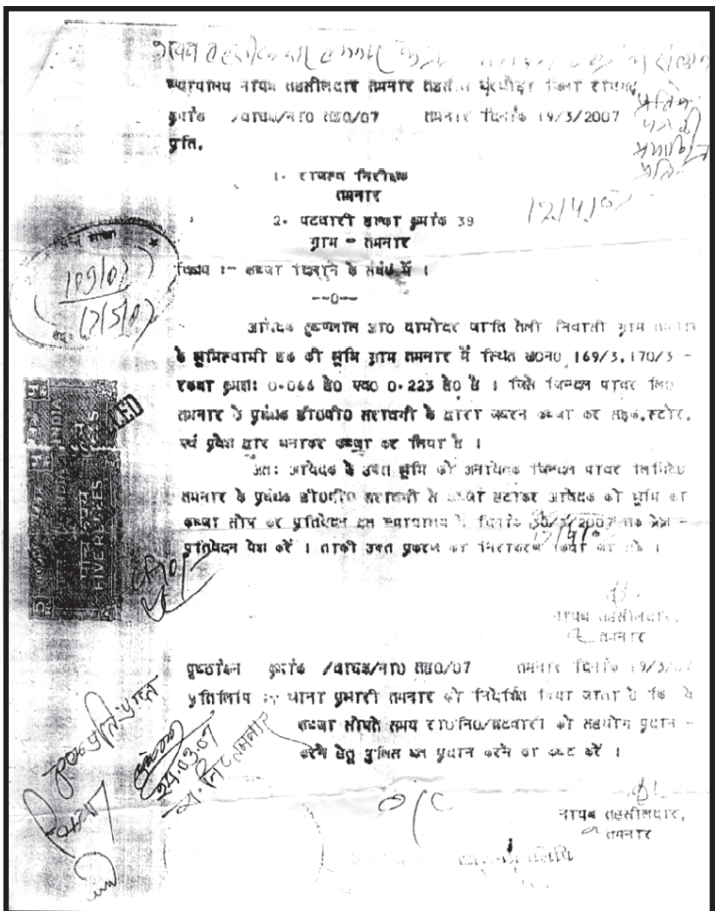

(श्री रघुनाथ चौधरी को जमीन पर कब्जा दिलाने का तहसीलदार तमनार का आदेश दिनांकः 19.03.2007)

श्री चौधरी बताते हैं कि मैंने वर्ष 2005 में आजिज आकर जिंदल पावर लिमिडेड कम्पनी के प्रबंधन पर केस किया तथा तहसीलदार तमनार से निवेदन किया कि मुझे मेरी जमीन पर कब्जा दिलाया जाय तथा कम्पनी द्वारा की जा रही जोर–जबर्दस्ती को रोका जाय। तहसीलदार तमनार ने 19–03–2007 को एक आदेश पारित करते हुए स्थानीय पुलिस थाना तथा राजस्व निरीक्षक को आदेश दिया कि मुझे मेरी जमीन पर कब्जा दिलाया जाय। परंतु आज तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया। तहसीलदार इस आदेश के बाद मेरे द्वारा दायर किये गये मुकदमे पर आगे कोई कार्यवाही करने के बजाय 3 वर्षों से लगातार तारीखें देते जा रहे हैं।

चौधरी बड़ी गंभीरता से बताते हैं, इसके बाद मैं उच्च न्यायालय की शरण में न्याय पाने की उम्मीद से गया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मेरा वाद निरस्त कर दिया, पुनः मैंने 'फुल बेंच' में अपील कर रखी है जो पिछले दो सालों से लंबित है और कम्पनी का मेरी 9 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा जोर–जबर्दस्ती के बल पर कायम है।

श्री चौधरी अपनी व्यथा को सुनाते हुए कहते हैं कि तहसीलदार के आदेश का पालन न होना तथा उच्च न्यायालय में वाद लम्बित रहते हुए भी कम्पनी प्रबंधन ने बिना किसी की परवाह किये वर्ष 2009 में मेरी हरी–भरी खड़ी फसल को बर्बाद करते हुए मेरी जमीन पर मिक्सिंग प्लांट बना डाला। हमारी इस बर्बादी का आलम मेरी 54 वर्षीया पत्नी मुंगरा बाई बर्दाश्त न कर सकीं और हृदयाघात का शिकार हुईं और उनकी मौत हो गयी। श्री चौधरी कहते हैं कि इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कौन कार्यवाही करेगा? क्या इस मौत की किसी मुआवजे से भरपाई की जा सकती है? मेरी समझ में नहीं आता कि यह सवाल किसके सामने रखूं यह सवाल मेरे लिए तब और मुश्किल हो जाता है जब मैं पाता हूं कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक (?) देश की सर्वोच्च पंचायत (?) लोकसभा के सदस्य श्री नवीन जिंदल की अगुआई में यह सब जोर जबर्दस्ती हो रही है।

श्री रघुनाथ चौधरी बताते हैं कि इस तरह का अन्याय और गुण्डागर्दी इलाके के तमाम आदिवासियों, किसानों के साथ कम्पनी ने किया है। अकेले सलिहाभाटा, तमनार तथा रेगाँव गांवों के कम से कम 27 किसानों की जमीनों पर कम्पनी ने बलात कब्जा करके उन्हें 10–20 हजार रुपया एकड़ की दर से मुआवजे के लिए सहमत होने को बाध्य किया और अब 10–20 हजार रुपये देने के बाद बाकी रकम के लिए उन्हें दौड़ाया जा रहा है। वे कहते हैं कि जिंदल पावर प्लांट के मलवे के लिए बनाये गये ''डम्पिंग डैम' की वजह से रेगाँव और पाता गांवों के किसान भूमिहीन तथा अपने जमीनों से बेदखल हो गये हैं।

अन्त में चौधरी कहते हैं कि भाग–दौड़, धरना, प्रदर्शन से कुछ नहीं हो पा रहा है। कौन सुनेगा हमारी– सरकार, नेता सभी

कम्पनी के साथ हैं। मुआवजा तो दूर रहा कम्पनी मुझे गुजारा देने को भी तैयार नहीं है। अब तो केवल उच्च न्यायालय में मुकदमे का ही सहारा बचा है।

लोकतन्त्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया की यह स्थिति है कि प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्र स्वयं माइनिंग, स्टील तथा पावर प्लांट बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। नवभारत (स्टील प्लांट), हरिभूमि (स्टील प्लांट), दैनिक भास्कर (पावर प्लांट तथा कोयले की माइनिंग) की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सहज कल्पना की जा सकती है कि इन समाचार पत्रों की भूमिका जनसंघर्षों के संदर्भ में क्या होगी। फिर भी आशा की किरण के रूप में छोटे – स्थानीय समाचार पत्र– सिंहघोष, जनकर्म, केलो विहार, समाचार दूत, नवीन कदम, रायगढ़ संदेश, हैं जो आंदोलनकारियों की आवाज को स्थान देते हैं। (जयंत बहिदार)।

दृष्टांत–4

जिंदल पावर लिमिटेड कम्पनी द्वारा जमीन पर जबरियन कब्जा, शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस तथा तहसीलदार समझाते रहे कि जमीन कम्पनी को दे दो, उच्च न्यायालय में वाद 4 साल से लंबित अभी तक कोई तारीख नहीं पड़ी, भुक्तभोगी के वकील ने भी उसे दिया धोखा।

इस वक्त तमनार बस स्टैण्ड के पास फोटो कापी, स्टेशनरी तथा पीसीओ की दुकान चलाकर अपनी जीविका चला रहे 46 वर्षीय कृष्णलाल साव की 2 एकड़ जमीन जिंदल पावर लिमिटेड के पावर प्लांट के लिए जबरियन कब्जा कर ली गयी है। श्री कृष्णलाल साव बताते हैं कि मुझे वर्ष 2003–2004 में सूचना मिली कि मेरे खेत पर जिंदल कम्पनी की तरफ से 10–12 फीट मोटी मिट्टी की तह लगायी जा रही है तथा कम्पनी के डम्पर यह काम कर रहे हैं। मैं अपने गांव वालों के साथ अपने खेत पर पहुंचा और वहां पर मिट्टी डाल रहे डम्पर्स को काम करने से रोका और भगा दिया। इसके बाद मैं इस संदर्भ में पुलिस थाना–तमनार में कम्पनी की ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गया, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, उलटे मुझे थानेदार यह समझाते रहे कि मैं अपना खेत कम्पनी को दे दूं। कुछ दिनों बाद कम्पनी फिर से मेरे खेतों पर मिट्टी डालने लगी। मैं एक बार फिर से थाने गया, इसबार भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

आगे अपनी आप बीती बताते हुए श्री साव कहते हैं कि मैं तहसील गया और तहसीलदार के सामने अपना प्रतिवेदन किया। उस वक्त बंजारे साहब तहसीलदार थे। वे भी मुझे समझाते हुए बोले कि कम्पनी पहाड़ की तरह है उससे मत टकराओ। अपनी जमीन कम्पनी को दे दो। मगर मैंने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया। तहसीलदार के यहां अपने मुकदमे की पैरवी करता रहा। अन्ततः 24 मार्च 2007 को तहसीलदार ने मेरे पक्ष में आदेश पारित करते हुए स्थानीय पुलिस तथा राजस्व निरीक्षक को आदेश दिया कि वे मेरे खेत पर मुझे कब्जा दिलवायें। परंतु तहसीलदार का यह आदेश आज तक लागू नहीं हो सका है।

श्री साव का कहना है कि मुझे मेरी जमीन के अधिग्रहण के बारे में कभी कोई सूचना नहीं दी गयी और न मेरी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। न तो मुझे कोई मुआवजा दिया गया और न मैंने कोई मुआवजा लिया है और न ही मैंने अपनी जमीन किसी को बेची है। फिर भी मेरी जमीन पर आज भी जिंदल पावर लिमिटेड कम्पनी ने जबरियन कब्जा कर रखा है।

श्री साव कहते हैं कि इस अन्याय तथा गुण्डागर्दी के खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में मुकदमा कर रखा है। हाईकोर्ट में लगभग 4 साल से मुकदमा विवादित है। हाईकोर्ट में मेरे मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील को भी कम्पनी ने अपनी तरफ मिला लिया। अतएव मुझे मजबूर होकर अपना वकील भी बदलना पड़ा। इन सब झंझटों से निपटने के लिए मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी और मौजूदा समय में अपनी जीविका के लिए एक स्टेशनरी की दुकान चला रहा हूं।

श्री साव अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि मेरी जमीन पर जबरियन कब्जा कर लिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दी गयी, न भूमि–अधिग्रहण किया गया, न मुआवजा दिया गया – न तो सरकार और न तो कम्पनी द्वारा, तहसीलदार का आदेश कूड़ेदान में पड़ा है और हाईकोर्ट में सालों से तारीख ही नहीं लग रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए जब मैं कम्पनी से सम्पर्क करता हूं तो कम्पनी के लोग क्षतिपूर्ति करने का वादा तो करते हैं परंतु उसे निभाते नहीं। जिंदल कम्पनी के एक मैनेजर दिनेश भार्गव– जो कम्पनी की तरफ से जमीन की खरीद–फरोख्त का काम देखते हैं मुझसे कहते हैं कि तुमने तो मुकदमा कर रखा है, जाओ जो करते बने कर लो, तुम्हें कोई मुआवजा या क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।

श्री कृष्णलाल साव कहते हैं कि इधर 3–4 महीनों (जुलाई 2010) से यह प्रचार किया जा रहा है कि मेरी जमीन वर्ष 2008–09 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर ली गयी है। परंतु इस संदर्भ में मुझे आज तक लिखित या मौखिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गयी। तहसील से इस संदर्भ में जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी गयी।

दृष्टांत–5

एक सरकारी स्कूल के अध्यापक की जमीन पर नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया जाता है और उसे सरकारी अधिकारी धमकी देते हैं कि यदि उसने कम्पनियों का या भूमि–अधिग्रहण का विरोध किया तो उसे नौकरी से

भी हाथ धोना पड़ेगा।

ग्राम तमनार, थाना–तहसील तमनार, जिला रायगढ़ के निवासी 48 वर्षीय प्रफुल्ल कुमार पटनायक की कुल जमीन 1.35 एकड़ का अधिग्रहण जिंदल पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत कर लिया गया। भूमि अधिग्रहण के बाद वर्ष 2004 में उन्हें इसकी सूचना दी गयी। इन्हें सुने बिना तथा इनकी आपत्तियों को जाने बगैर यह अधिग्रहण किया गया।

श्री पटनायक बताते हैं कि हमारी बेहद उपजाऊ जमीन को खार जमीन दिखाकर मुआवजा भी बहुत कम देने की पेशकश की गयी, अतएव मैंने विरोध स्वरूप मुआवजे की राशि नहीं लिया। मैंने मुआवजा बढ़ाकर देने तथा मेरी कृषि भूमि का सही मूल्यांकन करने का प्रतिवेदन राजस्व विभाग के समक्ष कर रखा है। मैं मुआवजे के तौर पर कम्पनी का शेयर चाहता हूं। परंतु मेरी बातें कहीं भी सुनी नहीं जा रही हैं।

श्री पटनायक पिछले 25 वर्षों से सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। श्री पटनायक का कहना है कि मुझे सरकारी अधिकारियों द्वारा यह धमकी भी दी गयी कि अगर कम्पनी के खिलाफ होने वाली जन सुनवाइयों में मैं गया तो मुझे सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा।

यह दृष्टांत यह बताते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा सेज हेतु प्रस्तावित संशोधनों, जो जमीनों के अधिग्रहण के संबंध में हैं, के अन्तर्गत यदि कम्पनियों, परियोजना संचालकों को यह छूट दी गयी कि वे 70–75 फीसदी जमीनों का इंतजाम स्वयं कर लें तथा बाकी 25–30 फीसदी जमीनें सरकार अधिग्रहीत करके दे देगी, तो किस तरह के तरीके कम्पनियाँ अपनायेंगी और किसानों पर क्या बीतेगी?

दिल्ली

राष्ट्रीय सम्मेलन : परमाणु हथियार मुक्त दुनिया की ओर

परमाणु निःशस्त्रीकरण एवं शांति गठबंधन (सी.एन.डी.पी.) की तरफ से अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर 10 से 12 दिसंबर 2010 को दिल्ली के कान्स्टीट्यूशन क्लब के लॉन में 'परमाणु हथियार मुक्त दुनिया' के विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, परमाणु के खतरों तथा शांति के लिए संघर्षरत भारत के विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों तथा जनसंघर्षों के साथ ही साथ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन पर परमाणु ऊर्जा, परमाणु अस्त्रों से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा की गयी। सम्मेलन को एडमिरल रामदास, अचिन वनायक, सुकला सेन, अनिल चौधरी, इलिना सेन, मणिशंकर अय्यर, जॉन हालम, करामत अली, क़मर आग़ा, अनुराधा चेनाय, अमरजीत कौर, ललिता रामदास, प्रफुल्ल बिदवई, एम. वी. रमना, एस. पी. उदयकुमार, कमल मित्र चेनॉय डा. जितेन्द्र सिंह, श्री प्रकाश, डा. सरूप ध्रुव, एन. डी. जय प्रकाश, देवाशीष, संदीप सेठी, पंकज बिष्ट, कविता श्रीवास्तव एवं अनुराधा सेन ने संबोधित किया।

सम्मेलन के आख़िरी दिन सम्मेलन की तरफ से 'दिल्ली घोषणा' जारी किया गया। इस घोषणा में मुख्य तौर पर ज़ोर दिया गया कि जयपुर तथा नागपुर में सी.एन.डी.पी. द्वारा जारी घोषणाओं पर हम कायम हैं तथा हमारा मुख्य ज़ोर– है कि ''परमाणु हथियारों का उपयोग, उपयोग की धमकी/भय, और परमाणु हथियारों के बनाने की तैयारी को हम अनैतिक, अवैधानिक मानते हैं और यह राजनीतिक तौर पर किसी भी हालत में हमें स्वीकार्य नहीं है।

हालांकि भारत और पाकिस्तान में 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं हुआ है परंतु अग्नि एवं हट्ज मिसाइल की टेस्टिंग तथा भारत–अमरीका परमाणु समझौता बड़े ख़तरे खड़ा करता जा रहा है।

अतएव सी.एन.डी.पी. का चौथा सम्मेलन संकल्प लेता है कि–

- दक्षिण एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र हो।
- परमाणु निशस्त्रीकरण पर वैश्विक घोषणा–पत्र जारी हो।
- परमाणु ऊर्जा के खतरनाक प्रभाव और सुरक्षा की अनदेखी के ख़िलाफ संघर्षों को तेज किया जाय।
- ईराक और अफगानिस्तान में कब्जे को खत्म करने की मांग, फिलिस्तीन समस्या का न्यायपूर्ण समाधान, जिससे वैश्विक शांति सुनिश्चित हो तथा परमाणु निशस्त्रीकरण में वह मदद कर सके।

इसके साथ ही साथ सी.एन.डी.पी. उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर हस्तक्षेप करने तथा संघर्ष करने वाली सभी वैश्विक तथा क्षेत्रीय ताकतों के साथ अपनी एकजुटता का इज़हार करता है।

जनआंदोलनों का दमन : राष्ट्रीय सम्मेलन

इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ) द्वारा 8 एवं 9 दिसंबर 2010 को राजेन्द्र भवन, नयी दिल्ली में 'जन आंदोलनों के दमन' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मणिपुर, प. बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, पांडिचेरी एवं दिल्ली राज्यों से विभिन्न जनसंघर्षों के ऐसे प्रतिनिधि शिरकत कर रहे थे जो जन संघर्षों के दरम्यान सीधे तौर पर राज्य एवं कारपोरेट के दमन, उत्पीड़न, हिंसक हमलों तथा गिरफ्तारियों के शिकार हुए हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिन पर 132 तथा 44–44 तक मुकदमें कायम हैं। पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति जैसे संघर्ष के प्रतिनिधि शामिल थे जिस संघर्ष पर 72 मुकदमे दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त मानवाधिकार संगठनों पी.यू.सी.एल., पी.यू.डी.आर. तथा सी.पी.डी.आर. (महाराष्ट्र) के प्रतिनिधियों तथा न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर, समाजवादी चिंतक श्री सुरेन्द्र मोहन ने भी सम्मेलन में शिरकत की।

पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति (पोस्को विरोधी आंदोलन–उड़ीसा), नियामगिरि सुरक्षा समिति (वेदांत विरोधी आंदोलन–उड़ीसा), व्यास यूथ ऑर्गनाइज़ेशन एवं टाटा प्रतिरोध संघर्ष समिति (टाटा विरोधी आंदोलन, कलिंगनगर, उड़ीसा), आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच (मित्तल विरोधी आंदोलन–झारखंड), जिंदल–भूषण विरोधी आंदोलन–पोटका, झारखंड, जिंदल विरोधी आंदोलन (तमिलनाडु), सेज विरोधी आंदोलन (आंध्र प्रदेश), नदी घाटी मोर्चा एवं जिंदल विरोधी आंदोलन (छत्तीसगढ़), नागार्जुन पावर प्लांट विरोधी संघर्ष (आंध्र प्रदेश), खनन विरोधी आंदोलन प. गोदावरी (आंध्र प्रदेश), वन वासियों एवं वन श्रमिकों का राष्ट्रीय मंच (उ. प्र.), हाकर्स यूनियन (प. बंगाल), गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन (उ. प्र.), विस्थापन विरोधी संघर्ष, काठीकुण्ड (झारखंड), दमन विरोधी मंच (गुजरात), ए.एफ.एस.पी.ए. विरोधी संघर्ष (मणिपुर) आदि संघर्षों के साथियों ने सम्मेलन में भागेदारी निभायी।

सम्मेलन की शुरूआत में पोस्को विरोधी संग्राम के साथी बिक्रम अली (सांग फ्राम कन्धमाल), मित्तल विरोधी आंदोलन के साथी बदर तोपनो, बीकानेर से आये साथी अब्दुल जब्बार तथा गुजरात के साथी अब्दुल शकील (वह सुबह कभी तो आयेगी) ने संघर्षों के गीत प्रस्तुत किये।

सम्मेलन में आये साथियों का स्वागत करते हुए इंसाफ के महासचिव का. चितरंजन सिंह ने सम्मेलन के विषय पर रोशनी डालने के लिए श्री अनिल चौधरी को आमंत्रित किया।

अनिल चौधरी ने सहभागियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि–

- आज पूरे देश में जनसंघर्षों का बेरहमी से दमन किया जा रहा है।
- आज जनतांत्रिक आंदोलनों के लिए स्थान–अवसर तेज़ी के साथ सिमटे हैं।
- नव उदारवाद (आधुनिक पूंजीवाद) तथा लोकतंत्र परस्पर विरोधी हैं, या तो नव उदारवाद रहेगा या लोकतंत्र।
- नव उदारवाद ने शुरूआती दौर में तानाशाही का इस्तेमाल करते हुए अपने चहेतों को सत्तासीन किया। इसके बाद दूसरे चरण में अपने दलालों को उसने सत्ता तथा सत्ता के प्रमुख पदों पर पदारूढ़ कराया और आज अपने तीसरे चरण में नव उदारवाद आतंकवाद–उग्रवाद को औज़ार बनाकर लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचल रहा है।
- हमारे देश में नव उदारवाद के यह तीनों चरण एक साथ काम कर रहे हैं। देश के दो महत्वपूर्ण पदों प्रधानमंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नव उदारवाद के झण्डाबरदार स्थापित कर दिये गये हैं। धार्मिक कट्टरता (हिन्दु, मुस्लिम सांप्रदायिकता) तथा वैचारिक कट्टरता (माओवाद) का इस्तेमाल शासक वर्ग लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए कर रहा है।

इसके बाद अनिल चौधरी ने सम्मेलन के विषय पर खुली चर्चा के लिए साथियों से आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त की।

इस सत्र में का. अभय साहू, कुमार चन्द मार्डी, पीयूष, कुमटी माझी, रामाश्रय यादव, न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर, राजेन्द्र, कैलाश मीना, अब्दुल शकील, डा. सुनीलम, रवि किरन जैन, सुरेन्द्र मोहन आदि वक्ताओं ने अपने तथा जनसंघर्षों के ऊपर हो रहे दमन तथा उत्पीड़न को बताते हुए अपने विचार रखे। चर्चा में कुछ बातें मुख्य तौर पर उभर कर सामने आयीं:–

- दमन और संघर्ष परस्पर जुड़े हुए हैं।
- दमन की शुरूआत कंपनियों की तरफ से की जाती है तथा दमन का दूसरा चरण सरकार द्वारा कंपनियों के साथ मिलकर किया जाता है।
- अभी सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ सीधे टकराव का रास्ता अपना रखा है।
- आदिवासी क्षेत्रों में कायम परंपरागत पंचायतों तथा सामूहिकता को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया जा रहा है।
- राज्य उत्पीड़न के साथ ही साथ मीडिया उत्पीड़न की भी चुनौती है।
- दमनकारी कानूनों का सृजन करके उसका इस्तेमाल जन आंदोलनों के दमन के लिए किया जा रहा है।

- पूरी की पूरी व्यवस्था तथा उसके सभी अंग जन विरोधी हैं तथा राज्य ने अपने ही देशवासियों के ख़िलाफ जंग का ऐलान कर रखा है।
- अन लॉ फुल एक्ट्स तथा देश द्रोह के मुकदमे कायम करके या संदिग्ध माओवादी बताकर लोगों को महीनों जेल में निरूद्ध रखा जा रहा है।
- गरीबों को और ज़्यादा से ज़्यादा लूटने के जुगत वैश्विक पैमाने पर बैठाये जा रहे हैं हम 'वैश्विक पूंजीवाद' के शिकार हैं।

दूसरे सत्र में चर्चा जारी रखते हुए गौतम बन्दोपाध्याय, जयंत बहिदार, आलोक मोहंती, राजा राव, अमृत बघेला, कुमार स्वामी,अमर नाथ यादव आदि वक्ताओं न अपनी बातें रखते हुए न्यायापालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाये इसके अलावा इस सत्र में जो मुख्य बातें रखी गयीं वे थीं–

- आंदोलन के सभी तरीके आंदोलनकारियों द्वारा अपनाये जाते रहे हैं वहीं दूसरी तरफ राज्य एवं कंपनियों द्वारा दमन के सारे तरीके अपनाये जा रहे हैं। दोनों तरफ से नये तरीकों की खोज जारी है।
- जन सुनवाइयां नाटक हैं। आज तक पर्यावरण के आधार पर किसी भी परियोजना को निरस्त नहीं किया गया है कुछ समय के लिए स्थगित भले कर दिया गया हो।
- आंदोलनों से सरकारें डरीं हैं, आंदोलन चाहे सत्ताधीशों को चुनाव जीतने से न रोक पाये हों परंतु सरकारों की लोकलुभावन छवि को तहस नहस जरूर किया है।
- गुजरात जैसे प्रांत में वहां की सरकार माओवाद–आतंकवाद–संस्कृतिकर्म तथा स्वंयसेवी संगठनों में अंतःसंबंध भी तलाश रही है, स्थापित कर रही है।
- सेज की तर्ज पर गुजरात में स्पेशल इनवेस्टमेंट रीजन की स्थापना की योजना है, इसकी स्थापना के लिए प्रत्येक रीजन हेतु 10,000 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं परंतु सरकार मीडिया के जरिये अपने आपको विकास का सर्वोत्तम माडल बताने में लगी हुई है। भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के समर्थक सत्ताधारीदल के एक विधायक तक पर जानलेवा हमला किया गया। अतएव तथाकथित देशभक्ति, विकास, कारपोरेट तथा मीडिया के पारस्परिक गठजोड़ को भी समझना होगा।

सम्मेलन की दूसरे दिन की कार्यवाही का प्रथम सत्र मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य तौर पर संबोधित किया गया। इस सत्र को चितरंजन सिंह, गौतम नवलखा (पी.यू.डी.आर.), आनंद (सी.पी.डी.आर.) जैसे वक्ताओं ने संबोधित किया तथा दूसरे सत्र को दयामति बारला, अशोक चौधरी, सज्जन कुमार, निज़ाम अंसारी तथा बबलू आदि ने संबोधित किया। यह दोनों सत्र जनसंघर्षों के सामने मौजूद चुनौतियों, इनके कारणों तथा इनसे निपटने की रणनीति पर केन्द्रित था। इन दोनों सत्रों में जो बातें उभरकर सामने आयीं वे थीं:–

- विस्थापन, पलायन, भूमि अधिग्रहण जैसे मसलों पर हम सभी लोग कार्यकर रहे हैं परंतु कोशिशें तितर बितर हैं। कारण हो सकते हैं राजसत्ता के चरित्र के विश्लेषण में फर्क, वैचारिक मतभेद, सुधारवादी बनाम परिवर्तनवादी नज़रिया, हिंसक बनाम अहिंसक रास्ता परंतु मूल में इसका कारण वैचारिक संकीर्णता है। अतएव वैचारिक संकीर्णता से बाहर आना होगा।
- प्रतिरोधों में खेमेबंदी बंद करनी होगी। हमें संकीर्णता तथा मतभेदों को चिन्हित करना होगा तथा काम करने (संघर्ष) के तरीकों के मतभेद के बावजूद भी हमें एकजुटता की तरफ बढ़ना होगा।
- जनसंघर्षों को राजनैतिक हस्तक्षेपों की तरफ बढ़ना होगा।
- नयी पीढ़ी को संघर्षों के साथ जोड़ा जाय।
- प्रतिरोध की प्रक्रिया की जटिलताओं को बारीकी से विश्लेषित किया जाय।
- दमन की राजनीति के खिलाफ नये समाज व नयी व्यवस्था का निर्माण मूल सवाल है।
- जनसंघर्षों का नेतृत्व ज़्यादा से ज़्यादा जनकेन्द्रित हो तथा सत्ता केन्द्रित न हो।

कुछ वक्ताओं की राय थी कि विधान सभाओं तथा लोक सभा में हमारी मज़बूत भागेदारी हो परंतु कुछ की राय थी कि संसदीय लोकतंत्र भटकाव का रास्ता है।

फौरी तौर पर अमल हेतु दो प्रमुख प्रस्ताव आये–

- विभिन्न जनसंघर्षों के बीच में राष्ट्रीय स्तर का जीवंत समन्वय तथा सूचना के आदान–प्रदान के तंत्र को विकसित किया जाय। यह समन्वय मुद्दा, क्षेत्र तथा वैचारिक खेमेबंदी से परे हो।
- विकास के इस जन विरोधी माडल के विरोध में पूरे देश में प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन पर कार्यक्रम करके इसको चुनौती दी जाय।

निरमा सीमेंट प्लांट विरोधी संघर्ष

महुआ क्षेत्र 1998 तक सौराष्ट्र का कश्मीर हुआ करता था वहां अधिकतर सभी फसलें हुआ करती थीं। आज भी महुआ की सब्ज़ी बम्बई जाती है। ऐसी धरती पर निरमा के किशनभाई पटेल ने एक सीमेंट प्लाट लगाने का प्रपोज़ल गुजरात सरकार को 2003 के 'ग्लोबल समीट' में दिया। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि यह ज़मीन उपजाऊ है, हम यह ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। पिछले करीब 2 साल से आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार का अभी तक दमनात्मक रूख ही दिख रहा है। एक छोटी सी पदयात्रा निकालनी हो तो महुआ गांव से 15–16 हज़ार लोग आ जाते हैं। किसान साफ तौर पर कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है जैसे मुख्यमंत्री नंबर वन, जीडीपी, विकास इत्यादि के नाम पर। अभी जो फर्ज़ी विकास की बातें चल रही है उसकी वजह से राष्ट्रीय मीडिया में आंदोलनों की खबरें नहीं आ पाती हैं। जिस तरह से 2002 के दंगों के समय हिन्दुत्व को लेकर जो मानसिकता लोगों की थी वही मानसिकता इस फर्ज़ी विकास को लेकर है। परंतु किसान लड़ रहे हैं वह किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं देना चाहते। पिछले दो माह पूर्व हमने एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के लिए दस बीघा ज़मीन पर खड़ी फसल को साफ करना पड़ा तब जा कर सम्मेलन के लिए स्थान बन पाया। मेरा कहने का मतलब है कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। यहां के सत्ता दल का विधायक किसानों के साथ है उस पर जानलेवा हमला हुआ है। इसके बावजूद सरकार इस कंपनी को वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों 11,111 किसानों ने अपने खून से हस्ताक्षर करके सरकार को ज्ञापन दिया लेकिन सरकार ने किसानों के खून से हस्ताक्षरित ज्ञापन को लेने से मना कर दिया। यही है स्वर्णिम गुजरात? यही है वाइब्रेंट गुजरात का सच?

गुजरात को एक प्रयोगशाला के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। पहले हिन्दुत्व प्रयोगशाला के तौर पर प्रचारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 2002 में गुजरात दंगे हुए, उसके बाद निर्दोष मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर उनके गुप्तांगों में इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए फिर उन्हें पोटा के मुकदमों में जेल भेजा गया, इसके बाद इशरत जहाँ एनकाउंटर, शब्बीर ख़ाँ पठान एनकाउंटर, शादिक जमाद एनकाउंटर, शोहराबुद्दीन एनकाउंटर यह सारी घटनाएं बेशक गुजरात को एक प्रयोगशाला की मानसिकता की तौर पर ही की गयीं लेकिन इसके साथ ही इन घटनाओं के समकक्ष दूसरा घटनाक्रम भी चल रहा था, वह था हिन्दुत्व व पूंजीवाद के गठजोड़ की राजनीति।

फर्जी एनकाउंटर की ही तरह से गुजरात का विकास भी फर्जी है। गुजरात का मोदी आज 2010 में 2002 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि सांप्रदायिकता से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक पूंजीवाद होता है। आने वाले समय में जिस तरह से गुजरात में भूमि अधिग्रहण होने वाला है जिसका ज़िक्र बिग 2020 नाम की रिपोर्ट में गुजरात सरकार ने किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि अभी हमारे पास केवल 23 हज़ार हैक्टेयर ज़मीन है और 2020 तक हमें 1 लाख 20 हज़ार हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होगा।

यदि किसान अपनी ज़मीन नहीं देगा तो राज्य दमन से इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जायेगी। गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जहां पर स्पेशल इनवेस्टमेंट एक्ट लागू किया गया है। इसके अंतर्गत गुजरात में 13 स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन स्थापित किये जा रहे हैं। प्रत्येक रीजन हेतु 10,000 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी।

गुजरात में एक सवाल आने वाले दिनों में गंभीर रूप से चर्चा का मुद्दा बनेगा कि इतनी ज़मीन आयेगी कहां से? और जमीन से विस्थापित लोग जायेंगे कहाँ? जिंदा कैसे रहेंगे?

– जिग्नेश मेवाणी, महुआ (गुजरात)

रेणुका बांध के खिलाफ संघर्ष जारी है. . . .

दिनांक 15 दिसंबर 2010 को हिमाचल प्रदेश के रेणुका, सिरमौर में जबरदस्ती भू–अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) तथा राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के सेक्शन 9 के तहत रेणुका बांध परियोजना के लिए पनार गांव की 680 बीघा जमीन (लगभग 57 हैक्टेयर) को अधिसूचित कर दिया। रेणुका बांध संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को एक पत्र भेजकर जबरदस्ती भूमि–अधिग्रहण को रोकने की अपील की है।

इस जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले 60 से ज्यादा परिवारों ने 15 दिसम्ब्र 2010 को भू–अधिग्रहण ऑफीसर से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाईं।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गये इस पत्र में रेणुका बांध संघर्ष समिति ने इस सवाल को भी उठाया है कि इस परियोजना के लिए 775 हैक्टेयर भूमि की वन मंजूरी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 31 अगस्त 2010 को रद्द कर चुका है। इसके बावजूद भूमि–अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। रेणुका बांध संघर्ष समिति का कहना है कि भू–अधिग्रहण की यह प्रक्रिया पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय का तो मखौल उड़ती ही है साथ ही साथ वन संरक्षण एक्ट 1980 के सिद्धांतों की भी धज्जियां उड़ाते हुए वन अधिकार अधिनियम को भी महत्व नहीं देती।

हिमाचल हाईकोर्ट की ग्रीन बैंच ने सुंदरनगर सीमेंट प्लांट रद्द किया

दिनांक 13 दिसंबर 2010 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के स्पेशल हरित बैंच ने सुंदरनगर सीमेंट प्लांट जिला मंडी की पर्यावरण मंजूरी तथा भू–अधिगहण अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस परियोजना का स्थानीय जनता तथा पर्यावरणविद लंबे समय से विरोध कर रहे थे।

स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणविदों ने कुल मिलाकर 6 याचिकाएं इस प्लांट के विरोध में हाईकोर्ट में दायर की थीं।

हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि ''कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया है जबकि राजनैतिक दल तथा सरकारें पर्यावरण को बचाने में असफल रही हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला–झाड़ चुकी हैं।

इस प्लांट को लगाने का प्रस्ताव 1989 में अस्तित्व में आया था, तभी से इसे जबरदस्त स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 1993 में सरकार बदलने के बाद, 1995 में तत्कालीन सरकार ने 1.27 मिलियन टन सालाना सीमेंट की क्षमता वाले इस प्लांट को स्थापित करने के लिए हरीश सीमेंट के साथ एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए बंद कर दिया कि यह वन्यजीव अभ्यारण्य के बहुत नजदीक है।

इसके बाद इस प्लांट को और किसी जगह पर लगाने की योजना बनायी गयी। अंततः इस विवादास्पद परियोजना को 2005 में सैद्धांतिक तौर पर पर्यावरण मंजूरी मिल गयी। इस मंजूरी से सशंकित स्थानीय निवासियों तथा पर्यावरणविदों ने कोर्ट में इसे चुनौती देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में स्थानीय निवासियों की आपत्तियों को दर्ज करने के लिए ज़रूरी जन सुनवाई को जानबूझ कर टाल दिया गया तथा किसी भी तरह की जनसुनवाई नहीं की गई।

इस बीच जबकि यह मसला अभी कोर्ट में लंबित था, राज्य सरकार ने भूमि–अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उद्योग विभाग के अनुसार 15 जनवरी 2007 को हरीश सीमेंट के साथ 725.85 हेक्टेयर की माइनिंग लीज पर हस्ताक्षर किये गये। इसमें से 469.68 हेक्टेयर जंगल की जमीन थी तथा बाकी निजी भूमि थी।

इस सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित खनन स्थल केरन गाँव (मण्डी) जो सुंदरनगर के पास अवस्थित है, में 19 दिसंबर 2010 को एक जनसभा करके उत्साहपूर्वक आंदोलनकारियों ने न केवल विजय दिवस मनाया बल्कि संघर्ष में भागीदारी एवं सहयोग के लिए मीडिया, बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों, वकीलों तथा हिमाचल के विभिन्न जनसंघर्षों को धन्यवाद दिया। सभा में संघर्ष को जारी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का संकल्प दोहराया गया। कृषक विकास समिति ने इस सभा का आयोजन किया था। सभा को सुंदर नगर संघर्ष समिति के अध्यक्ष का. अमर सिंह राघवा, कुलभूषण उपमन्यु ने विशेष तौर पर सम्बोधित किया। इस मौके पर इंसाफ के महासचिव का. चितरंजन सिंह एवं हिमालय नीति अभियान के साथी गुमान सिंह भी मौजूद थे।

हरियाणा

गौरखपुर में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयन्त्र के खिलाफ संघर्षरत किसान

भारत में साफ, सुरक्षित एवं सस्ती तथा समुचित बिजली आपूर्ति की बातें जोरशोर से सरकार तथा तंत्र द्वारा प्रचारित करते हुए यह कहा जा रहा है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए 40 नये परमाणु संयंत्रों को स्थापित करने की जरूरत है। इन प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गौरखपुर गाँव में प्रस्तावित है।

आज से कई साल पहले इस परियोजना के लिए इस इलाके का मौका–मुआयना किया गया था तब यह कुम्हारिया परमाणु संयन्त्र के नाम से प्रचारित किया गया था। यह संयंत्र लगभग 1503 एकड़ जमीन में लगाने की योजना है। इस उद्देश्य हेतु हरियाणा सरकार ने जब भूमि अधिग्रहण की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की तो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे गाँवों– गौरखपुर, बड़ोपल तथा काजलहेड़ी के किसानों ने किसान संघर्ष समिति का गठन करके अपनी कृषि भूमि को बचाने तथा परियोजना के विरोध में संघर्ष की शुरूआत की।

15 अक्टूबर से किसान संघर्ष समिति ने फतेहाबाद जिला मुख्यालय पर धरना–प्रदर्शन आरंभ कर दिया। किसानों की साफ समझ है कि वे किसी भी कीमत पर (चाहे जितना मुआवजा दिया जाय) अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वे कई राजनीतिक पार्टियों की इस समझ और माँग से सहमत नहीं हैं कि एन.सी.आर. के रेट से मुआवजा तथा नौकरियाँ दी जाएं तभी जमीन देंगे।

इस बीच में किसानों ने परमाणु ऊर्जा के खतरों, पर्यावरण की क्षति तथा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की अवहेलना के मसलों को लेकर किसानों, छात्रों, नवजवानों तथा व्यापारियों के बीच में भी जागरूकता अभियान चलाकर आंदोलन को व्यापक करने की मुहिम तेज कर दी है। किसानों के 85 फीसदी हिस्से ने जिला राजस्व अधिकारी को भूमि न देने का पत्र सौंप दिया है तथा इन पत्रों में मुआवजे का जिक्र तक नहीं है।

इस संदर्भ में 13 नवंबर 2010 को टोहाना बाजार में किसानों, छात्रों, नवजवानों तथा व्यापारियों की एक संयुक्त सभा करके परियोजना के विरोध के निर्णयों को दोहराया गया तथा इसके कारणों को भी व्याख्यायित किया गया। इस सभा में प्रो. राजेन्द्र चौधरी (महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय), डा. राजेन्द्र शर्मा, धीरज गाबा, कर्मवीर सिंह, का. इन्द्रजीत बसवाल, जसमेर सिंह, हंसराज प्रधान, सुरेन्द्र आनंद गाफिल ने अपने विचार रखे।

झारखण्ड

हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दमन, उत्पीड़न, गिरफ्तारियां तथा फर्जी मुकदमें हमें डिगा नहीं सकते। हम जनवरी 2011 से बड़े पैमाने पर न्यायाग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। पू. सिंहभूम के जमशेदपुर तथा पोटका प्रखण्ड में भूषण एवं जिंदल की स्टील एवं ऊर्जा परियोजनाओं के खिलाफ अपने वन, नदी तथा पहाड़ और जीवन बचाने के लिए हम संघर्षरत हैं। इन कम्पनियों ने कुछ लोगों से थोड़ी बहुत जमीनें खरीद ली थीं तथा कुछ शेड वगैरह बना लिये थे। परंतु विक्रेताओं का मोहभंग हो चुका है वे भी अब कम्पनी के खिलाफ हैं।

आज स्थितियां एकदम बदल गयी हैं पहले आंदोलनकारियों पर मामूली धाराओं में मुकदमे कायम होते थे और लोग विरोध–प्रतिरोध को अपना राजनैतिक अधिकार मानते थे परंतु अब गंभीर धाराओं में मुकदमे संघर्षों के अगुआकारों पर इसलिए कायम किये जा रहे हैं जिससे उन्हें क्राइम कन्ट्रोल एक्ट जैसे काले कानूनों में निरूद्ध किया जा सके। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा तथा भा.ज.पा. जैसे राजनीतिक दल अब आंदोलनों के विरोध में खुलेआम आ रहे हैं।

हमने विस्थापन, पलायन, भूमि अधिग्रहण के साथ ही साथ अकाल, भूख एवं रोजगार के मुद्दों को भी अपने संघर्ष में जोड़ा है।

1855–56 से लेकर 1937 तक समय–समय पर तिलका माझी, सिद्धु, कानू, बिरसा मुण्डा– उल गुलान तथा सिंगराई–विंदराई जैसे आदिवासी नायकों के संघर्षों ने हमेशा सत्ता को घुटने टेकने को विवश किया, परिणामतः यूल्स रूल्स, संथाल परगना टेनेंसी एकट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और बिलकंन्सन्स रूल जैसे कानून बने जिसमें आदिवासियों की परम्परागत भूमि व्यवस्था को सत्ता ने स्वीकारा।

आज फिर से एक और उल गुलान की जरूरत है, हमारी कोशिश है वह जल्दी हो।

– कुमार चन्द मार्डी, जिंदल–भूषण विरोधी आंदोलन, पू. सिंहभूम (झारखण्ड)

आज भी वंचित है बिरसा का गाँव

गाँव के आदिवासियों को स्कूल और पानी चाहिए। स्कूल है, पर अध्यापक नहीं आते और पानी लाने के लिए औरतों को मीलों जाना पड़ता है।

बीते 17 अप्रैल, 2010 का बिरसा मुंडा के उलिहातु गाँव में जाकर जो कारुणिक दृश्य मैंने देखे, उससे मर्माहत हूं। बिरसा के गाँव और आसपास के जंगल खत्म हो रहे हैं। जो जंगल अरण्यजीवियों की आजीविका का एक मात्र साधन रहा है, वह क्यों खत्म हो रहा है? जंगलजीवी जंगल को माँ मानते हैं और माँ की तरह ही उसका सम्मान करते रहे हैं। भांति–भांति के लोकाचारों और अनुष्ठानों के जरिए सहस्त्रों वर्षों से अरण्य की रक्षा करते हुए उसकी विविध सम्पदा पर आश्रित होकर अरण्यजीवी खुद भी जीते रहे हैं, पर जंगल के खो जाने के बाद उनके पास विद्रोह के अलावा क्या चारा है?

अलिहातु और आसपास के गाँवों में मैंने लक्ष्य किया कि वन विभाग के सहयोग से ही जंगल–ध्वंस चल रहा है। झारखंड में (और अन्यत्र) बचे–खुचे जंगल की रक्षा के उपाय नहीं किये गये तो प्राकृतिक असंतुलन के सांघातिक नतीजे देखने पड़ेंगे।

अलिहातु में बिरसा मुंडा के भाई कानु मुंडा के प्रपौत्र सुखराम मुंडा 70 वर्ष के हो चले हैं। उनकी पत्नी भी वृद्धा हैं उनका रसोईघर टूट गया है। बिरसा के घर के सामने बिरसा स्मृति मंदिर है। वहां बिरसा भगवान प्रतिष्ठित हैं। गाँववाले उनकी रोज पूजा करते हैं। मैं वहां पास ही एक पेड़ के नीचे बैठी। गाँव वालों से मैंने पूछा कि उन्हें क्या दिक्कतें हैं? समवेत आवाज आयी – 'और कुंओं की दरकार है। पीने के पानी की भारी किल्लत है। पठन–पाठन का भी प्रबन्ध हो।' पहाड़ के ऊपर स्थित इस गाँव में एक दो–मंजिला मकान है। गाँव वालों ने बताया कि यह स्कूल तो है, पर वहां शिक्षक नहीं आते। शिक्षक नहीं आते, सो छात्र भी नहीं आते। तो यह है, वहां की शिक्षा व्यवस्था। बिरसा का गाँव आज भी निर्धनता में सांस लेता हैं राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन के राज में यही प्राप्य था? मैं अपने सहयोगी बी.एम. लाल को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बिरसा के गाँव को तेल निकालने वाली एक मशीन दी है, जिससे नीम, महुआ, और रेड़ी का तेल निकालकर गाँव वाले कुछ उपार्जन कर सकेंगे। अलिहातु (ब्लाक खूंटी, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड) एक आदिवासी गाँव है, क्या इसीलिए 2010 में भी वह वंचना का शिकार है? इस वंचना के खिलाफ और जल–जंगल–जमीन पर अधिकार वापस पाने के लिए ही बिरसा ने 'उलगुलान' यानी महाविद्रोह किया था। 1889–1900 में छोटानागपुर में वह ऐतिहासिक विद्रोह चला था। महज पचीस वर्ष की आयु में बिरसा की असमय मौत से वह महान संग्राम भले दब गया, पर उसका असर आज भी विद्यमान है। 1878 में अंग्रेजों ने जब कुख्यात जंगल कानून लागू किया तो उसी के खिलाफ उलगुलान हुआ था, क्योंकि जंगल में रहने वाली एक विराट आबादी को जीविका का वैकल्पिक अवसर नहीं देकर उन्हें जंगल से भगाकर तिल–तिल कर मरने को बाध्य किया गया था। अंग्रेजों के जंगल कानून का मकसद वनस्पतियों और वन्य प्राणियों का संरक्षण करना नहीं था, बल्कि जंगल को यूरोपीय ठेकेदारों और देसी महाजनों के हाथों बेचना था। यानी भारत की विपुल वन सम्पदा को लूटने की वह अंग्रेजों की चाल थी। आज स्वतंत्र भारत की सरकार वन क्षेत्रों को बड़े औद्योगिक घरानों को सेज बनाने के लिए दे रही है। बिरसा ने बहुत पहले अपने पिछड़े हुए आदिवासी समाज में जल–जंगल–जमीन के प्रश्न को लेकर चेतना जगायी थी। आज किसी न किसी रूप में समूची दुनिया को बिरसा के महासंग्राम में शरीक होना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। जल–जंगल–जमीन के इस अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को बिरसा ने उन्नीसवीं शती के आखिर में ही समझ लिया था। वह अपने समय से कितना आगे था। लेकिन उसका गाँव आज भी वहां है। बिरसा के गाँव व आसपास की महिलाओं को आज भी 14–14 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। अनेकानेक आदिवासी गाँवों की यही दशा है और इसी कारण उनमें असंतोष भी है। यह असंतोष ही आदिवासियों को व्यापक रूप में संगठित होना सिखाता रहा है। आदिवासी जब अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, तभी इंसान के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने में समर्थ होंगे।

(महाश्वेता देवी) *(हिन्दुतान से साभार)*

जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना : विरोध में एकजुट होते लोग

वृहत मुम्बई और राज्य में विद्युत समस्या हल करने के उपाय के तौर पर राज्य सरकार ने फ्रांस की मदद से जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी है। सरकार का दावा है कि इस संयंत्र से 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो विश्व रिकार्ड होगा। परंतु एनरान कम्पनी का नाटक देख चुके स्थानीय किसान, पर्यावरणविद और मछुआरे इस परियोजना के विरोध में कमर कस चुके हैं।

जैतापुर कोंकण क्षेत्र में अवस्थित है। कोंकण हरा भरा इलाका है तथा यहां प्रचुरमात्रा में पानी भी उपलबध है। शायद इसी वजह से फ्रांस की कम्पनी ओरवा के साथ मिलकर न्यूक्लिअर पावर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने यह परियोजना तैयार की है। इस परियोजना पर एक लाख करोड़ रुपये निवेश होगा। भारत में यह विदेशी निवेश की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी। इस परियोजना हेतु 938 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण अनापत्ति रोक रखा था, नवी मुंबई में प्रस्तावित नये हवाई अड्डे के लिए जिस तरह अज्ञात दबाव (?) के चलते मंत्रालय को पर्यावरण अनापत्ति देनी पड़ी थी, उसी तरह परमाणु संयंत्रों की बिक्री हेतु फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी के भारत आगमन से ठीक 4 दिन पहले इस परियोजना को मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी।

योजना को हरी झण्डी मिलते ही स्थानीय लोगों ने विरोध को संगठित स्वर देना आरंभ कर दिया है। स्थानीय किसानों तथा मछुआरों ने कोंकण विकास समिति के बैनर तले उसी दिन प्रदर्शन किया जिस दिन राष्ट्रपति सरकोजी भारत आये। प्रदर्शनकारियों पर निमर्मतापूर्वक लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने तितर–बितर करने की कोशिश की।

इस बीच में कोंकण क्षेत्र में अपने गढ़ के ढहने की आशंका से परेशान शिव सेना ने इस आंदोलन के समर्थन की घोषणा कर दी है। जहां शिवसेना सीधे तौर पर विरोध में उतर आयी है वहीं एनरान योजना को ले आने वाली भा.ज.पा. इस प्रस्तावित योजना पर विचार के लिए एक कमेटी बनाकर अपना पल्ला झाड़ती दिख रही हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है वह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दृढ़संकल्पत सी है।

इस इलाके में लगभग 1500 मछुआरे परिवार रहते हैं जो अनुमानतः 20 से 25 हजार टन मछली पकड़ते हैं जिससे 100 से 125 करोड़ का कारोबार प्रतिवर्ष होता है। मछुआरों का कहना है कि सरकार हमारी बेहतरी तो दूर रही हमें बर्बाद करने पर आमादा है। योजना में समुद्र का पानी इस्तेमाल होगा और फिर वही पानी समुद्र में वापस छोड़ दिया जायेगा जिससे समुद्री मछलियाँ बुरी तरह प्रभावित होंगी। इसका मछुआरों की जीविका पर अत्यन्त ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरणविदों, मछुआरों तथा किसानों का कहना है कि इस परियोजना के लगने से पर्यावरण में परमाणु विकिरण आदि का जो जानलेवा प्रभाव पड़ेगा वह तो एक गंभीर मसला है ही परंतु इलाके की धान की खेती, आम के साथ ही साथ समुद्री जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोंकण विकास समिति इस परियोजना के विरोध में संघर्ष के लिए कटिबद्ध है।

दमन, साजिशों से जूझते कलिंगनगर के आंदोलनकारी आदिवासी

- **राज्य के दमन (पुलिस जुल्म) एवं टाटा कंपनी के गुंडों (स्थानीय बीजू जनता दल के नेता एवं कार्यकर्ता) के हमले का कंपनी विरोधियों द्वारा सामना।**
- **राज्य एवं कंपनी के आतंक के कारण कंपनी विरोधी आंदोलनकारी रात में ही निकलते हैं लोगों से संपर्क करने।**
- **आतंक एवं अत्याचार का यह आलम की कंपनी विरोधी आंदोलनकारी अस्पताल या डाक्टर के पास इलाज कराने जाते समय भी किये जा रहे हैं गिरफ्तार।**
- **आंदोलन के समर्थन में बाहर से आने वाले लोगों पर अघोषित प्रतिबंध।**

जाजपुर जिले में स्थित सुकिण्डा ब्लाक के अंतर्गत प्रस्तावित टाटा कंपनी ने अपने प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ से कोरिडोर रोड का निर्माण कराना आरंभ किया था। इसका उद्देश्य आवागमन की सुविधा बढ़ाने के साथ ही साथ यह भी था कि कंपनी के लोग गांवों में भी प्रवेश पा सकें। इस कोरिडोर रोड के विरोध में लोग एकजुट हुए उनका दमन किया गया और दो लोगों की हत्या भी की गयी। इसके बावजूद भी लोगों का संघर्ष जारी है। गोबरघाटी गांव आज आंदोलनकारियों का मुख्य केन्द्र बना हुआ है। इस गांव के लोग विरोध–प्रतिरोध में बड़ी ही मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं।

टाटा कंपनी ने आंदोलनकारियों पर पुलिस के साथ मिलकर दमन के साथ ही साथ सत्तादल के कार्यकर्ताओं–नेताओं, स्थानीय ठेकेदारों, सप्लायर्स के साथ रणनीति बनाकर रोज़गार देने, ठेका देने आदि का प्रलोभन देकर फर्जी आंदोलन खड़ा करके लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। ऐसे तत्वों को मिलाकर कलिंगनगर सुरक्षा समिति का गठन भी किया गया है। इन तत्वों को कंपनी ने कुछ छोटे–छोटे काम भी दे रखे हैं– लेबर सप्लाई, आई.टी.आई. ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टिंग तथा कुछ निर्माण कार्य के ठेके। इस खेमे में 'पापी पेट के लिए' काम करने वाले कुछ स्थानीय एन.जी.ओ. भी शामिल हैं। यह ताकतें कंपनी की सहमति तथा मार्गदर्शन में कंपनी के ख़िलाफ धरना, प्रदर्शन भी आयोजित करती रहती हैं ताकि वास्तविक संघर्ष के बारे में लोगों को गुमराह किया जा सके। इस तरह के कंपनी प्रायोजित आंदोलनों (?) को पुलिस का भी पूरा समर्थन एवं संरक्षण प्राप्त रहता है। हो भी क्यों न, जब राज्य सरकार तथा सत्तादल (केन्द्रीय एवं राज्य) तथा सत्तादलों के स्थानीय नेता कंपनी के आगे पीछे दुम हिला रहे हैं, तब तो यह उनका कर्त्तव्य बन ही गया है।

कभी–कभी अपनी दलाली की कीमत बढ़वाने के लिए भी यह लोग संघर्ष का नाटक करते हैं। अभी दिसंबर 2010 के शुरूआती दिनों में इसी तरह का नाटक किया गया। बहाना था ज़मीनों का मुआवज़ा बढ़वाने का। ज़मीनों का मुआवज़ा बढ़ा कि नहीं यह तो नहीं मालूम परंतु दलाली की दरें निश्चित तौर पर बढ़ गयी होंगी।

कंपनी की इस खेमेबंदी ने कलिंगनगर में अपना एक समर्थक खेमा खड़ा कर लिया है वहीं दूसरी तरफ टाटा प्रतिरोध संघर्ष समिति स्थानीय आदिवासियों, कुछ राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं (सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम.), एस.यू.सी.आई., सी.पी.आई. (एम.एल.) के बल पर रवि जारिका के कुशल नेतृत्व में 'राजसत्ता तथा 'कारपोरेट हिंसा से जूझता हुआ जल, जंगल, ज़मीन, जीविका तथा लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत है। हालांकि टी.पी.एस.एस. बार बार हमलों तथा उत्पीड़न का शिकार होती रही है। और समय समय पर अपनी रणनीतियों में परिवर्तन भी करती रही है, पूरे देश में चल रहे

प्रमुख जनसंघर्षों का समर्थन एवं एकजुटता हासिल करने में कामयाब रही है परंतु वह आज भी राज्य तथा कारपोरेट की मिली जुली साजिशों को रोक नहीं पायी है। यह साजिशें आज भी जारी हैं।

टी.पी.एस.एस. ने बढ़ते हमलों को देखते हुए महिला आंदोलनकारियों को अधिक सक्रिय करने की रणनीति पर कार्य करना शुरू किया था तथा इन महिला साथियों ने आगे बढ़कर मोर्चे भी संभाले। कंपनी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय बैंकों की सहायता से महिलाओं के बनाये गये स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का इस्तेमाल आंदोलनकारी महिलाओं के खिलाफ एक समांनांतर ताकत के रूप में करने की योजना पर काम करना शुरू किया। आंदोलनकारी महिलाओं को विकास विरोधी तथा दिग्भ्रमित बताने के लिए टी.वी. चैनेल्स, फिल्म शो, क्रिकेट टूर्नामेंट, हेल्थ कैंप आदि का कंपनी ने इस्तेमाल किया तथा यह भी प्रचारित किया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलायें दिन–प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं– और यही तरक्की का एकमात्र रास्ता है। इसके पीछे कंपनी की सुविचारित रणनीति थी कि कंपनी समर्थकों की तादाद बढ़ायी जाय तथा लोगों को लालच–प्रलोभन देकर अपने खेमों में शामिल किया जाय। इसमें आंशिक कामयााबी से निराश कंपनी ने इस योजना पर काम करना शुरू किया कि आदिवासी महिलाओं में हिंसक संघर्ष कराये जायं। अतएव कंपनी समर्थक महिलाओं को पुलिस के संरक्षण में परंपरागत हथियारों से लैस कराके आंदोलनकारी महिलाओं पर हमले कराये गये जो आज भी जारी हैं।

आज कलिंगनगर में एक तरफ आंदोलनकारियों के स्वतंत्रतापूर्वक इधर–उधर आने–जाने तक पर अघोषित प्रतिबंध हैं तो वहीं दूसरी तरफ टाटा कंपनी को अपराधिक षड्यंत्रों–कृत्यों की खुली छूट।

– आलोक मोहंती, कलिंगनगर (उड़ीसा)

आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गिरफ्तारियों तथा फर्जी मुकदमों का सामना कैसे करें? पांच वर्ष तक जनता ने अपनी कुर्बानियों तथा संघर्षों के बल पर पोस्को कम्पनी को एक इंच ज़मीन पर भी काबिज नहीं होने दिया फिर भी सरकारें जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर रही हैं। हकीकत यह है कि हमारी सरकारें अमरीकी दादागीरी के समक्ष नतमस्तक हैं। पोस्को का मामला कोरिया का नहीं है बल्कि यह अम. रीकन हित का मामला है। पोस्को में निवेश किये जाने वाले धन में 70 फीसदी अमरीकन पूँजी है। अतएव पोस्को कम्पनी का कारोबार सीधे तौर पर अमरीकन हित का मामला है। प्रधानमंत्री, योजना आयोग तथा राज्य सरकार अमरीकन हितों के खिलाफ सोच भी नहीं सकतीं।

आज जरूरत है ऐसी परियोजनाओं के नियंताओं, समर्थकों के लिए चेक गेट बनाने की और इस मानव विरोधी व्यवस्था तथा विनाशकारी विकास के खिलाफ साझे ह्यूमन चेक गेट की।

–अभय साहू, अध्यक्ष, पी.पी.एस.एस. (पोस्को विरोधी संघर्ष, उड़ीसा)

हमें विकास की रोशनी दिखायी जा रही है। कोठियों, बाजारों, सड़कों का जाल दिखाया जा रहा है। हमारी उन्नति की, समृद्धि की बात की जा रही है।. . . . . हमें यह सब कुछ नहीं चाहिये . . . . . हम अपनी माटी नहीं छोड़ेंगे। न जान देंगे और न जमीन देंगे।

–कुमटी माझी, अध्यक्ष, नियाम गिरि सुरक्षा समिति (वेदांता विरोधी संघर्ष, उड़ीसा)

भूमि अधिग्रहण स्वीकार्य नहीं : सीमेंट प्लांट विरोधी आंदोलन, नवलगढ़

किसानों ने घेरा तहसील, छात्रों से पुलिस की धक्का–मुक्की

यदि हुआ भूमि अधिग्रहण तो घड़साना जैसे हालात– का. अमराराम

मायावती सरकार की हाई–वे परियोजनाओं के लिए, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, वहीं राजस्थान के शेखावाटी इलाके में इन हाई–वेज के लिए खपत होने वाले सीमेंट के लिए किसानों से जमीनें छीनने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों के बाद अब यहां के किसानों ने भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बिगुल बजा दिया है।

भूमि अधिग्रहण के विरोध में 21 दिसंबर 2010 को बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने नवलगढ़ में रैली निकाली। बाद में तहसील के सामने सभा हुई। सर्दी के बावजूद किसान सुबह साढ़े सात बजे से ही रामदेवरा चौक में एकत्रित होने शुरू हो गये थे। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसान रैली के रूप में सुबह साढ़े ग्यारह बजे रवाना हुए। किसान नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने पहुंचे। यहां झुंझुनू–सीकर मार्ग पर सभा हुई।

सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष व विधायक कामरेड अमराराम ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 114 दिन से किसान कड़ाके की सर्दी में जमीन बचाने के लिए सड़कों पर बैठा है और सरकार आँखें बंद किये हुए है। यदि किसानों की भमि को छीनने का प्रयास किया गया तो घड़साना जैसा आंदोलन छिड़ जाएगा। उन्होंने किसानों को एकजुट होकर लड़ाई करने व ईंट से ईंट बजाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि तीन सीमेंट फेक्ट्रियां लगाने के चक्कर में किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसी सरकार किस काम की।

विद्याधर गिल ने कहा कि किसानों की जमीन को नहीं बेचने देंगे। जिन किसानों ने भूल से भी जमीन बेच दी है, वह उस पर कब्जा कर लें। सभा को माकपा जिला सचिव फूलचंद बर्बर, फूलचंद डेवा, किसान सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य रामचन्द्र कुलहरि, किसान सभा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश झारोड़ा, एसयूसीआई के महादेव सिंह, श्रीराम दूत, अजय चाहर, जिला परिषद सदस्य सतीश गजराज, संजय कटेवा, सुभाष बुगालिया, शशिकांत ,श्रीराम डूडी, पन्ना लाल सैनी, मोहनलाल, महादेवाराम, पूर्णमल आजाद, अंजना कुमारी, सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा का संचालन एडवोकेट बजरंग सिंह मूण्ड ने किया। संघर्ष समिति के संयोजक कैप्टन दीपसिंह शेखावत ने शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन व किसानों का आभार व्यक्त किया।

पुलिस व छात्रों में धक्का–मुक्की

सभा शुरू होने से पूर्व एसएफआई व अन्य कार्यकर्ता जब तहसील परिसर में घुसने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस व लोगों के बीच धक्का–मुक्की हो गई। बाद में पुलिस ने तहसील कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस की हाथापाई के कारण छात्र व किसान नीचे भी गिर पड़े। बाद में अन्य किसानों ने आकर पुलिस को रोका। इसके बाद सभा शुरू हुई।

उल्लेखनीय है कि 22 नवम्बर, 2007 को राजस्थान सरकार और तीन बड़ी सीमेंट निर्माता कम्पनियों – ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड और श्री सीमेंट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत इन कम्पनियों को राजस्थान में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा कच्चा माल और अन्य समान उपलब्ध कराना है। सीमेंट प्लांट लगाने के लिए झुंझनू जिले के खिरोड़, खोजास, बसावा, कैमरी की ढाणी, तुर्काणी जोहड़ी, मोहनवाड़ी, तारपुरा, देवगांव, गोठड़ा, परसरामपुरा व सीकर के बेरी गांव की जमीन लेना सुनिश्चित किया गया, क्योंकि नवलगढ़ तहसील के इस इलाके में तकरीबन 207.26 मिलियन टन चूने के पत्थर का भंडार है।

हम करीब चार साल से संघर्ष कर रहे हैं। दमन, मुआवजा, फर्जी मुकदमे हमें डिगा नहीं सकते। हमें लगातार धरने पर बैठे हुए 114 दिन हो रहे हैं लेकिन हमारी आवाज न प्रशासन के कानों तक पहुंची है और न ही किसान हितों का दंभ भरने वाले राजनेताओं के कानों में, जबकि राजनेताओं ने विधानसभा के चुनाव के दौरान किसानों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए लंबे–चौड़े भाषण दिए थे। मगर अब पिछले सैकड़ों दिनों से हम लोग अकेले ही धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में एकमात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता दातारामगढ़ के विधायक का. अमराराम जरूर आए हैं। दूसरे राजनेताओं ने साथ देना तो दूर, हमारे किसानों पर राजमार्ग जाम करने का मुकदमा लग जाने पर भी जुबान नहीं खोली।

नवलगढ़ क्षेत्र में तीन बड़ी सीमेंट कम्पनियों के लिए जारी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में करीब 19 गांव आएंगे और करीब 50 हजार लोगों से अधिक किसान तथा लाखों जानवर प्रभावित होंगे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सीमेंट कम्पनी के लिए 740.21 हैक्टेयर (6662 बीघा), अल्ट्राटेक (ग्रासिम) के लिए 1073.08 हैक्टेयर (96571 बीघा) तथा आईसीएल के लिए 670.24 हैक्टेयर (6032 बीघा) भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इन तीनों कम्पनियों के लिए करीब साढ़े 22 हजार बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री सीमेंट कम्पनी गोठड़ा, देवगांव, चोढ़ाणी व खेरावा की ढाणी की जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है। इनमें से प्लांट एरिया के लिए गोठड़ा गांव की 143 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड भी पारित हो चुका है। अवार्ड के रूप में 27 करोड़ 25 लाख रुपये पारित हुए हैं। हालांकि जब रीकॉ के अधिकारी मुआवजा के चेक वितरण करने आये तो अधिकांश किसानों ने मुआवजा के चेक लेने से मना कर दिया।

अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी तुर्काणी जोहड़ी, रिवरोड़, मोहनवाड़ी, बसावा तथा सीकर जिले के बेरी व कोलीडा की जमीन का अधिग्रहण करना चाह रही है। आईसीएल कम्पनी खोजावास, बसावा, देवगांव व भोजनगर की जमीन पर नजर जमाए हुए हैं।

– श्रीचंद डूडी, भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नवलगढ (राजस्थान)

राज्य की जनविरोधी नीतियों के खि़लाफः साझी पहल

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अमर शहीद भगतसिहं के जन्म दिन पर 26 सितम्बर को राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित कर देश व राज्य में जल–जंगल–ज़मीन को बचाने के लिए चल रहे जन आन्दोलन को ऊर्जा देने का हमारा साझा प्रयास सफल रहा। इस सेमिनार का मुख्य विषय वर्तमान चुनौतियां और भगत सिंह पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुऐ स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज देश में राष्ट्रीय–बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्धारा जारी लूट के सरेआम पक्ष में खड़े होकर भारतीय शासक वर्ग ने जन आन्दोलन का तीव्र दमन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री व गृहमंत्री अमेरिकी साम्राज्यवाद व बहुराष्ट्रीय कम्पनी के ऐजेन्ट के रूप में काम कर रहें है। विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण करके गरीब–किसान, आदिवासियों को उजाड़कर अपने पूंजीपति आकाओं की माल से झोली भर रहें हैं। ऐसी स्थिति में देश व राजस्थान में चल रहें विभिन्न राष्ट्र के जल–जंगल व खनिज सम्पदा को बचाने वाले जन आन्दोलनों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर संघर्ष करना समय की फौरी आवश्यकता है क्योंकि सभी सरकारों का चरित्र पूर्ण रूप से जन विरोधी हो गया हैं।

इस सेमीनार में जाने–माने बुद्विजीवी, स्वतन्त्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और सीधे जनसंघर्षो से जुड़े हुए करीब 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेमीनार के दूसरे दिन भावी रणनीति पर विचार करते हुए प्रमुख निर्णय लिये गये।

(1) सात सदस्सीय कमेटी का गठन किया गया।

(2) अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध तथा 27 फरवरी को (चन्द्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस) से 23 मार्च (भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव के शहादत दिवस) तक विभिन्न सभाऐं तथा आखिर में रैली व धरना।

दिनांक 3 अक्टूबर 2010 को उपरोक्त सात सदस्यीय संचालन कमेटी की मीटिंग बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित मुददों पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा करते हुऐं भावी कार्यक्रम तय किया गया।

(1) केन्द्र व राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश व राज्य में चल रहें जनआन्दोलनों के साथ एकरूपता ज़ाहिर करना तथा जनसंघर्षों को एक मंच पर लाने का प्रयास करना। खास कर भूमि अधिग्रहण आन्दोलनों को।

(2) सरकारों की अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना।

(3) साझे संघर्ष व मंच की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए एक फोल्डर जारी करना और चल रहें जनसंघर्षो के ज़मीनी कार्यकर्ताओं के बीच वितरण करना। उनके नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं से सम्पर्क भी करना।

(4) सांझे संघर्ष हेतु एक ढ़ांचागत आधार तैयार करना।

– हरकेश बुगालिया, राजस्थान निर्माण मज़दूर संगठन, जयपुर

गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन

गाँवों–गाँवों में किसान शांति सेना का गठन हुआ प्रारंभ

कृषि–भूमि बचाओ मोर्चा उ. प्र. द्वारा अगस्त–सितंबर, 2010 में सघन जनजागरण एवं बड़ी–बड़ी जन सभायें की गयीं। उ. प्र. सरकार द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए तत्काल भूमि अधिग्रहण की मंशा से गाजीपुर जनपद की तीनों प्रभावित तहसील सैदपुर, सदर व मुहम्मदाबाद में तहस. ीलदार की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण कमेटियों का गठन किया गया और उसके बाद बल प्रयोग करने की नियत से धारा 144 लागू की गयी। यह जानकारी अगस्त के अंत में हिन्दी अखबारों में प्रकाशित हुई। तब कृषि भूमि बचाओ मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र के प्रमुख किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों व विपक्षी पार्टियों से मिलकर 1 सितंबर, 2010 को जनपद मुख्यालय के समता भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के रामरूप दादा, राघवेन्द्र जी, अमरनाथ यादव, शिवाजी सिंह, रामाश्रय यादव, जयशंकर सिंह, कुसुम तिवारी, श्यामसुन्दर यादव, किसान नेता–बाबू लाल मानव, किसान सभा के राजेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, राजेश राय (पप्पू), पूर्वसांसद जगदीश कुश्वाहा, सी.पी.आई. के जिला सचिव अमेरिका जी, कांग्रेस से कौशलेन्द्र सिंह आदि लोगों ने भाग लिया और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में सघन जनजागरण एवं बड़ी बड़ी जन सभायें आयोजित की जाये। प्रथम चरण में गाजीपुर जनपद का चयन हुआ और जनपद के प्रभावित क्षेत्रों में आठ बड़ी सभाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आठ अलग–अलग सभाओं के आठ प्रभारी नियुक्त किये गये। पहली जनसंभा 9 सितंबर 2010 को नारीपंचदेवरा में अमरनाथ यादव के नेतृत्व में, दूसरी 11 सितंबर 2010 को जंगीपुर मंडी मैदान में रामधारी यादव (सपा जिलाध्यक्ष) के नेतृत्व में तथा तीसरी 13 सितंबर 2010 को महुवी चट्टी पूर्व विधायक, राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में, चौथी जनसभा 15 सितंबर 2010 को सिधौना बाज़ार, रामाश्रय यादव के नेतृत्व में, पांचवीं जनसंभा 17 सितंबर 2010 को वड़ौरा में राजेश राय (पप्पू) के नेतृत्व में, छठी जनसभा 18 सितंबर 2010 मुड़ियार स्कूल मैदान में मोर्चे के प्रदेश प्रवक्ता शिवाजी सिंह के नेतृत्व में, सातवीं

गंगा एक्सप्रेस वे योजना के विरुद्ध जन सभाएं

किसानों का संकल्प, जान देंगे-जमीन नहीं देंगे।

किसान भाइयों,

सरकारें किसानों को उजाड़ने का बन्दोबस्त कर चुकी है। लम्बे संघर्षों व कुर्बानी के बाद जमींदारी खत्म हुई। किसानों को जमीन मिली। 63 वर्षों की आजादी के बाद पुनः सरकार सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के नाम पर पूंजीपतियों को हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर नये जमीदारों को पैदा कर रही है। हाइटेक सिटी, रिसोर्ट, कालोनियों के विकास, एक्सप्रेसवे आदि के नाम पर भूमि ली जायेगी। इससे उद्योगपति मुनाफा कमाने का काम करेंगे। 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे की कोई आवश्यकता नहीं है। खाद्यान्न का संकट तो होगा ही। लोग भूमिहीन होंगे। भूखमरी बढ़ेगी। प्रदेश के विकास एवं पूर्वांचल के विकास के लिए नये औद्योगिक संस्थान, अउपजाऊ भूमि पर स्थापित कर, बन्द चीनी मिल को चालू करके किया जा सकता है। ऐसी दशा में गंगा एक्सप्रेसवे योजना रद्द करना ही सही है। इधर जिला प्रशासन किसानों को बिना संज्ञान में लिए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बना चुका है। अस्तु आन्दोलन को सक्रीय करना आवश्यक है।

अतः निम्नतिथियों पर सभी किसान संगठनों एवं दलों के तरफ से सभाएं होगी। किसानों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सभाओं को सफल वनावें। **सभी सभाएं 12 बजे से होगी।**

तिथियाँ-9 सितम्बर को नारी पचदेवरा, 11 सितम्बर को जंगीपुर मंडी, 13 सितम्बर-महुवीं, 15 सितम्बर-सिधौना, 17 सितम्बर को बड़ौरा चट्टी, 18 सितम्बर-मुड़ियार, 20 सितम्बर-बालापुर, 21 सितम्बर-महेन्द

निवेदकगण-

कृषि भूमि बचाओ मोर्चा

किसान सभा गाजीपुर

समाजवादी पार्टी, गाजीपुर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गाजीपुर

नोट- इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, भा0ज0पा0, भाकपा (माले), सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर व अन्य दलों को सादर आंमत्रित किया जाता है।

जनसभा 20 सितंबर 2010 को बालापुर में मोर्चे के अध्यक्ष राघवेन्द्रजी के नेतृत्व में, आठवीं जनसभा संयोजक रामरूप दादा के नेतृत्व में 21 सितंबर 2010 को आयोजित की गयी। सभी जन सभाओं में पांच से दस हज़ार किसानों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। धारा 144 को तोड़ते हुए और इस नारे के साथ कि–

''धरती मेरी माता है जनम–जनम का नाता है।

जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे।।''

शासन भारी जनाक्रोश के सामने घुटने टेकते हुए भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं कर सका। तहसील कर्मियों से यह सूचना मिली की शासन ने खसरा खतौनी की नकल परियोजना निर्माता जे.पी. के मुख्यालय पर भेज दी है। इन जन सभाओं की एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि सरकारी कर्मचारियों, वकीलों व नाम न बताने के शर्त पर अधिकारियों ने भी इन जनसभाओं का समर्थन किया।

अक्टूबर 2010 में शिवाजी सिंह के नेतृत्व में किसान शांति सेना के गठन का कार्य शुरू हुआ जिसमें सभी प्रभावित गांवों से 10–10 युवाओं का चयन किया जा रहा है जिनका प्रशिक्षण फरवरी 2011 में आयोजित किया जायेगा।

– शिवाजी सिंह, सैदपुर

प्रान्तीय स्तर पर साझी पहल का फैसलाः साझे मंच का गठन

दिनाकं 14–15 दिसबंर 2010 को लखनऊ में साथी मोनासूर की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक सगंठनों, मंचों की संयुक्त बैठक में एकजुट पहल, एक साझे मंच का निर्माण तथा काम के अधिकार, ससांधनों पर लोक हक़दारी तथा मान सम्मान युक्त जीवन के बुनियादी मुदद्ों पर मिलजुल कर काम करने का निर्णय लिया गया। प्रान्तीय स्तर पर गठित इस साझे मंच का नाम 'लोकतात्रिक जन अधिकार मंच ' रखना सर्वसम्मति से तय पाया गया। मंच सचांलन के बुनियादी तौर तरीकों को तय करने के साथ ही ''असमानता, भेद भाव'' की समाप्ति को एक मूल उद्देश्य के रूप में स्वीकारा गया।

मंच के संचालन के लिये एक 5 सदस्यीय समन्वयन समिति जिसमें रामकुमार (डग), मोना सूर (बिहान), आर0पी0 शाही (इंसाफ), राम प्रताप (लोक हकदारी मोर्चा) एवं कमल कुमार (जनकेन्द्रित विकास महासमिति) हैं का गठन किया गया तथा तय पाया गया कि भविष्य में बड़ी बैठक करके एक विस्तारित समिति गठित की जायेगी। 'लोक तांत्रिक जन अधिकार मंच ' के सचांलन के लिये लोक हक़दारी मोर्चा को सचिवालय की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गयी।

बैठक में 13 जिलों में वन अधिकार के मुद्दे को लेकर 30 जनवरी 2011 तक बैठक कर लेने, मुद्दे चिन्हित कर लेने और फरवरी 2011 में डग द्वारा वन अधिकार पर सोन भद्र में आयोजित जन सुनवाई में इन 13 जिलों से सहभागिता का भी निर्णय लिया गया।

साथ ही मनरेगा, सामाजिक उत्पीडन , भूमि के पट्टे जैसे मुद्दों पर लगातार काम करने हस्तक्षेप करने का सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। यह भी तय पाया गया कि सोनभद्र में हो रही जन सुनवाई के संदर्भ में तैयारी बैठक तथा बाद में प्रान्तीय स्तर पर बैठक करके वन अधिकार के मुद्दे पर सघंर्ष की रणनीति को अंतिम रूप दिया जायेगा।

इस बैठक में प्रान्तीय स्तर के जनमंचों डायनैमिक एक्शन ग्रुप (डग), लोक हक़दारी मोर्चा, इण्डियन सोशल एक्शन फोरम, उ0प्र0 (इंसाफ, य0ू पी0), जनकेन्द्रित विकास महासमिति तथा बिहान ने शिरकत की।

वैचारिक स्तर पर स्पष्टता के लिए, 'तात्कालिक मुद्दा एवं दूरगामी सोच' तथा 'न्यूनतम सहमति एवं अधिकतम योगदान' की बुनियादी समझ को व्यावहारिक आकार देने के लिए शीघ्र ही प्रांतीय स्तर पर विचार–विमर्श के आयोजन की भी बात तय पायी गयी।

सम्मेलन – उदास मौसम के ख़िलाफ

29 नवंबर 2010, रवींद्रालय, लखनऊ

30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा बाबरी मस्जिद और उसके परिसर की ज़मीन की मिल्कियत को लेकर दिए गए फैसले ने भारतीय संवैधानिक ढाँचे की बुनियाद को लेकर कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं, प्रश्न मस्जिद के परिसर की मिल्कियत से अधिक अब इस बात का है कि क्या न्यायालय धार्मिक आस्थाओं की ऐतिहासिकता की जांच करने का काम अपने दायरे के भीतर मानने लगे हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जिस तरह मस्जिद में सेंध लगा कर मूर्तियाँ रखने वालों को वैध दावेदार का दर्जा इलाहाबाद न्यायालय ने इस फैसले के ज़रिये दिया है, उससे इस तरह की हरकतों के लिए रास्ता खुलने का खतरा है।

इन गंभीर सवालों पर विचार–विमर्श करने तथा देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए 'अनहद' एवं 'इंसाफ' ने 29 नवंबर 2010 को लखनऊ स्थित रवीन्द्रालय में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पोस्टर प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बृद्धिजीवियों, साहित्यकारों, कलाकर्मियों, इतिहासविदों, अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों ने शिरकत की। उ. प्र. के विभिन्न जिलों के साथ ही साथ दिल्ली, चण्डीगढ़ जैसे स्थानों से भी लोगों ने भागेदारी की।

सम्मेलन की शुरूआत में आदियोग, अलका प्रभाकर जैसे साथियों ने अमन के गीत प्रस्तुत किये। प्रो. अपूर्वानन्द ने सम्मेलन का संचालन किया तथा स्थानीय आयोजक रिक्शा मजदूर यूनियन के साथी आशीष अवस्थी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। सम्मेलन में मौजूद तकरीबन 800–900 लोगों को दो दर्जन से अधिक वक्ताओं ने सम्बोधित किया, जिनमें फा. जान दयाल, अनिल चौधरी, प्रो. के.एम. श्रीमाली, प्रो. राम पुनियानी, संदीप पाण्डेय, शकील सिद्दीकी, अनुपम गुप्ता, फराह नकवी, प्रो. एन. पणिक्कर, गौहर रजा, प्रो. रूप रेखा वर्मा, नसीरूद्दीन हैदर खान, प्रो. रमेश दीक्षित, शबनम हाशमी आदि शामिल हैं।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

''लखनऊ में 29 नवंबर, 2010 को छात्रों, नौजवानों, स्त्रियों और समाज के अलग–अलग तबकों के नागरिकों की यह सभा जोर देकर कहना चाहती है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के इस निर्णय को अस्वीकार करना होगा, शांति और चैन की दुहाई देकर इसे स्वीकार करने की दलील को नामंजूर करना होगा और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के तर्क की रक्षा के लिए कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष को नए उत्साह के साथ लड़ना होगा। यह सम्मेलन यह आह्वान करता है कि पूरे देश में व्यापक तौर पर इस फैसले की रोशनी में भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के आगे आए खतरों पर गंभीरता से विचार करके धर्म. निरपेक्षता के पक्ष में अभियान और संघर्ष को तेज किया जाये।''

सम्मेलन के सान्ध्यकालीन सत्र में सायं 6 से 9 बजे तक आयोजित संगीत सन्ध्या में हिन्दी साहित्य के प्रख्यात कवि और विचारक अदम गोंडवी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वृत्त चित्र निर्माता और कवि गौहर रजा, सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान के शिष्य ध्रुव संगारी ने बढ़–चढ़कर हिस्सेदारी की।

इस सम्मेलन के आयोजन और सफल आयोजन में अग्रांकित संगठनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी–

आली, अग्रणी फाउंडेशन, ऐपवा, अलग दुनिया, आशा परिवार, आवाज, बी जी वी एस, भारतीय आवाम सोसाइटी, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोंलन, सेंटर फॉर कंटेपरेरी स्टडीज एंड रिसर्च, सीटू, बी एस एन एल एंपलॉज यूनियन, डाइनेमिक एक्शन ग्रुप, इंकलावी नौजवान सभा, जन संस्कृति मंच, बिहान, लोकहकदारी मोर्चा आदि।

रेल विस्तार परियोजनायें : भूमि अधिग्रहण का तीखा विरोध

सिंगूर और नंदीग्राम के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहणों पर ग्रहण लगाने के बाद हाबड़ा के सांकराइल, बोलपुर, हुबली के डानकुनी, तारकेश्वर, विष्णुपुर, सिलीगुड़ी, पांशकुड़ा तथा शालबनी यानी हाबड़ा, शांति निकेतन, हुबली के आस पास के क्षेत्रों में रेल मंत्रालय की प्रस्तावित या बिलंबित परियोजनाओं को अमली जामा पहनाये जाने के विरोध में किसान स्थानीय स्तर पर 'कृषि भूमि रक्षा कमेटियां' बनाकर अपनी कृषि भूमि की रक्षा के लिए पुरानी तर्ज पर संघर्ष में कूद पड़े हैं।

रेलवे द्वारा डानकुनी के पास 'डेडिकेटेट फ्रेट कारिडोर', सांकराइल में रेलवे वैगन फैक्ट्री, रेलवे भर्ती बोर्ड का विशाल दफतर, नई रेलवे लाइनें, रेल बिजली उत्पादन संयत्र प्रस्तावित है। इन सारे उद्यमों के लिए जमीन की जरूरत है। अतएव यह सब प्रस्तावित स्थल किसी प्रकार के निर्माण कार्य के बजाय ऐसे किसानों के धरना–प्रदर्शन के स्थल बने हुए हैं जो अपनी जमीनों से वंचित किये जा रहे है। आंदोलनरत किसान(भू–स्वामी) रेलवे के अधिकारियों तथा ठेकेदारों को खदेड़ने में लगे हैं। रेलमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि यह सब आंदोलन सीपीएम का नाटक है और माकपा नेता बाहर से लोगों को बुलाकर यह नाटक करवा रहे हैं। लेकिन आंदोलनकारियों के हाथों में ममता बनर्जी की पार्टी के झण्डे देखे जा सकते हैं।

सांकराइल का मामला इस वक्त ज्यादा गरम है। यहां पर भूमि अधिग्रहण आज से लगभग 28–29 साल पहले उस वक्त हों गया जब गनीखान चौधरी रेल मंत्री हुआ करते थे। यहां पर माधव राव सिंधिया के दौर में 'फ्रेट टर्मिनल' के लिए किसानों ने जमीन दी थी। उस वक्त रेलवे ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी। परंतु न तो नौकरी दी गयी और न फ्रेट टर्मिनल ही बना। 'फ्रेट टर्मिलन' शालीमार में बना दिया गया और शेष योजनायें ठंडे बस्ते में डाल दी गयीं जिससे नौकरी पाना भी सपना ही रह गया। जब ममता बनर्जी रेलमंत्री बनीं तो उन्होने यहां डी.एम.यू. रैक बनाने का कारखाना प्रस्तावित कर दिया। 7 दिसंबर 2010 को इस नवीन परियोजना पर काम शुरू करने जब ठेकेदार तथा अधिकारी पहुंचे तो उन्हे स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया।

यहां के स्थानीय विधायक जो ममता बनर्जी की ही पार्टी के हैं काम रूकवाने में आंदोलनकारियों के साथ आये। आंदोलनकारियों में तथा प्रभावित किसानों में अधिकांश ममता बनर्जी एवं उनकी पार्टी के समर्थक हैं। आंदोलनकारी किसानों का दृढ़ मत है कि जब रेलवे ने यहां नयी परियोजना का निर्णय लिया है तो उन्हे आज की दर से संशोधित मुआवजा मिलना चाहिए। गांव के लोग नौकरी का भी आश्वासन चाहते हैं। परंतु रेलमंत्री ने इन दोनों निवेदनों को ठुकरा दिया और कहां कि ''82–84 में प. बंगाल सरकार ने भूमि का अधिग्रहण करके रेलवे को दिया था अब उसके लिए हंगामा करना नाजायज है।''

डानकुनी से लुधियाना तक प्रस्तावित (शिलान्यास 16 नवंबर 2010) 'डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर', और नयी रेल लाइन बिछाने के उत्तर व दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, बांकुड़ा, बर्द्धमान और हुगली जिलों में 3200 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहीत की जानी है। ये सभी जमीने दो फसली या बहु फसली हैं। तारकेश्वर विष्णुपुर ब्राडगेज जो कि सिंगुर होकर गुजरेगी; अभी से तीखे विरोध का सामना कर रही है। डुंगाझर चाय बागान के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन का दो. हरीकरण होने जा रहा है जिसमें चाय बागान की जमीन अधिग्रहीत की जायेगी, को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन योजनाओं के खिलाफ किसान अभी से बोलने लगे हैं। यह दूसरा 'सिंगुर' अब ममता के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा पॉपुलर इनफॉरमेशन सेंटर, ए–124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016 पर डाक द्वारा भेज सकते हैं।

पॉपुलर इनफ़ॉरमेशन सेंटर

ए–124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016

फोन/फैक्स: 011–26968121/26858940

ईमेल: sangharshsamvad@gmail.com